



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274903
CG-DL-E-29072026-274903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3882]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3882]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026/SHRAVAN 1, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

का.आ. 4052(अ).—केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार इससे प्रभावित होने वाली जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं।

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे इस प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति है या वह सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्र सरकार के द्वारा विचार किए जाने के लिए, ऐसी आपत्ति या सुझाव को सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य के सबसे दक्षिणी संरक्षित क्षेत्र हैं। यह पश्चिमी घाट में स्थित अगस्त्यमलाई जैवमंडल अभयारण्य और पेरियार हाथी अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र का हिस्सा है। इन दोनों वन्यजीव अभयारण्यों में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है और इनका नाम क्रमशः नेय्यर और पेप्पारा नदियों के नाम पर रखा गया

है। नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य कलामाला एक्सटेंशन, कोट्टूर एक्सटेंशन और नेट्टुकलथेरिकुन्नू आरक्षित वनों के अधीन आता है। पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य कोट्टूर और पालोड आरक्षित वनों के अधीन आता है। ये वन्यजीव अभयारण्य तिरुवनंतपुरम वन्यजीव प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

और चूँकि, नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट के दक्षिण-पूर्वी कोने में 128 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह तिरुवनंतपुरम जिले के नेय्यातिनकारा तालुका में 8017' और 8053' उत्तरी अक्षांश तथा 76040' और 77017' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है;

और चूँकि, पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य 53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और कोट्टूर और पालोड आरक्षित वनों के अधीन आता है। यह तिरुवनंतपुरम जिले के नेदुमंगड तालुका में 80° 34' और 80° 41' उत्तरी अक्षांश तथा 77° 6' और 77° 14' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है;

और चूँकि, नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य को जीओ (एमएस) 871/58 तारीख 06.01.1958 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और इसकी सीमाओं को जीओ (पी) संख्या 2305/एफ2/71 तारीख 18.03.1971 के माध्यम से पुनः अधिसूचित किया गया था, जिसमें नेय्यर जलाशय को वन्यजीव अभयारण्य में सम्मिलित किया गया था। पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य को जीओ (पी) संख्या 379/83 तारीख 21.12.1981 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था;

और चूँकि, संरक्षित क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के लगभग सभी प्रमुख स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। अभयारण्य की स्थलाकृति और जलवायु विभिन्न सूक्ष्म और बृहद पर्यावासों के विकास को संभव बनाती है, जो यहां के विभिन्न प्रकार के जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। जीव-जंतुओं की विविधता में स्तनधारी (43 प्रजातियां), पक्षी (233 प्रजातियां), सरीसृप (46 प्रजातियां), उभयचर (13 प्रजातियां), मछलियां (27 प्रजातियां) और तितलियों की एक विस्तृत विविधता शामिल है;

और चूँकि, नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य वनस्पति विविधता का खजाना हैं, जिनमें 132 से अधिक परिवारों से संबंधित लगभग 1000 प्रजातियों के पुष्पीय पौधे पाए जाते हैं, जो केरल से अनुमानित कुल पुष्पीय पौधों का लगभग 22% है। वनस्पति में मुख्य रूप से सदाबहार और नम पर्णपाती वन सम्मिलित हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे और पेड़ की प्रजातियां सम्मिलित हैं, जैसे कि *एब्रस प्रीकेटोरियस*, *अधाटोडा ज़ेलेनिका मेडिक*, *अल्लियम साल्विफोलियम*, *एलोवेरा*, *अल्फोन्सिया ज़ेलेनिका*, *शतावरी रेसमोसस*, *बॉम्बेक्स सीडवा*, *कैसलपिनिया मिमोसोइड्स*, *कैलमस ब्रांडिसि*, *कैलोफिलम एपेटालम*, *कैनेरियम स्ट्रिक्टम* *रोक्सब*, *कैसिया फिस्टुला*, *सिनामोमम ट्रेवनकोरियम गैबल*, *करकुमा स्यूडोमोंटाना ग्राहम*, *साइथिया गिगेंटीन*, *डालबर्गिया लैटिफोलिया*, *हेलिक्टरेस आइसोरा*, *मुर्रिया कोएनिगि*, *मिरिस्टिका डेक्टाइलोइड्स गर्टन*, *पाइपर लोंगम*, *सिज़िजियम ट्रेवनकोरिकम गैबल*, *टर्मिनलिया अर्जुन*, *टर्मिनलिया बेलेरिका*, *टर्मिनलिया चेबुला*, *टर्मिनलिया पैनिकुलाटा*, *ट्राइकोपस ज़ेलेनिकस*, *वाल्थेरिया इंडिका*, *राइटिया टिनक्टोरिया*, आदि;

और चूँकि, नेय्यर के कुछ महत्वपूर्ण स्तनधारियों - पेप्पारा अभयारण्यों में *पैथेरा टाइग्रिस*, *पैथेरा पार्डस*, *कुओन अल्पाइन*, *बोस गौरस*, *एलीफस मैक्सिमस*, *मुंटियाकस मुंटजैक*, *लेपस निग्रिकोलिस*, *मकाका रेडियोटा*, *हर्पसटेस फ्यूस्कस*, *रैटस नॉरवेगिकस*, *पेरोपस गिगेंटस*, *मैनिस्*, *क्रैसिकाउडाटा*, *हिस्ट्रिक्स इंडिका*, *सस स्क्रोफा*, *फेलिस चाउस*, *मैकाका सिलेनस*, *रतुफा इंडिका*, *मोस्कोला मेमिन्ना*, *नीलगिरिट्रैगस हिलोक्रियस*, *ट्रैचीपिथेकस जॉनी*, *मार्टेस ग्वाटकिंसि*, *सर्वस यूनिकलर*, *मेलर्सस उर्सिनस*, *विवेरिकुला इंडिका*, *पेटिनोमिस फ्यूस्कोकैपिलस*, *लुट्रोगेल पर्सिपिसिलटा*, *फनाम्बुलस पामरम*, *पैराडॉक्सुरस उभयलिङ्गी* आदि; सम्मिलित हैं।

और चूँकि, नेय्यर-पेप्पारा अभयारण्यों के कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों में *पेर्डिकुला एशियाटिका*, *पेर्डिकुला अरगुंडा*, *पेर्डिकुला एरिथ्रोहाइन्चा*, *गैलोपर्डिक्स स्पैडियोआ*, *गैलस सोनेराती*, *पिकुमनस इनोमिनेटस*, *डेंड्रोकोपोस नेनस*, *डेंड्रोकोपोस महारैटेंसिस*, *माइक्रोप्टर्नस*, *ब्रैच्युरस*, *ड्रायोकोपस जावेन्सिस*, *पिकस क्लोरोलोफस*, *पिकस ज़ैथोपाइगियस*, *डिनोपियम जावनेंस*, *डिनोपियम बेंघालेंस*, *क्राइसोकोलाप्टेस ल्यूसिडस*, *हेमीसर्कस कैनेटे*, *सेयक्स एरीथेकस*, *मेगालिमा विरिडिस*, *मेगालिमा रुब्रिकैपिला*, *मेगालिमा हेमासेफला*, *ओसीसेरोस ग्रिसियस*, *ब्यूसेरोस बाइकोर्निस*, *उपुपा एपाँप्स*, *हार्पेक्टस फासिआटस*, *एल्लिडो मेनिंटींग*, *कोरासियास बेंघालेंसिस*, *एल्सेडो एथिस*, *पेलागोप्सिस कैपेंसिस*, *हैल्लिसयॉन स्मिर्नैसिस*, *सेरीले रुडिस*, आदि; सम्मिलित हैं।

और चूँकि, नेय्यर-पेप्पारा अभयारण्यों की कुछ महत्वपूर्ण सरीसृप प्रजातियों में *अहेतुल्ला नासुता*, *कैलोटेस वर्सिकोलर*, *चामेलियो ज़ेयलैनिकस*, *ड्रेको डुसुमीरी*, *हाइपनेल हाइपनेल*, *नाजा नाजा* आदि सम्मिलित हैं;

और चूँकि, नेय्यर की कुछ महत्वपूर्ण उभयचर प्रजातियाँ - पेप्पारा अभयारण्यों में *दत्तफ्रीनस बेडडोमी*, *दत्तफ्रीनस मेलानोस्टिक्टस*, *दत्तफ्रीनस पैरिटैलिस*, *पेडोस्टिक्स ट्यूबरकुलोसस*, *यूफ्लिक्टिस सायनोफ्लिक्टिस*, *यूफ्लिक्टिस हेक्साडैक्टाइलस*, *फेजेरवेरिया केरलेंसिस*, *होप्लोबैट्राचस टाइगरिनस*, *फेजेवरिया प्रजाति*, *माइक्रिक्सलस फ्यूस्कस*,

माइक्रिक्सलस प्रजाति, रामनेला प्रजाति, निक्विटबाट्राचस एलिसिया, निक्विटबाट्राचस बेडडोमी, निक्विटबाट्राचस मेजर, निक्विटबाट्राचस माइनर, निक्विटबाट्राचस पिल्लई, निक्विटबाट्राचस वसंती, सिनोटार्सिस कर्टिप्स, हिलराना औरांतियाका, हिलराना टेम्पोरलिस, इंदिराना बेडडोमी, इंदिराना डिप्लोस्टिक्टा, इंदिराना प्रजाति, पॉलीपेडेट्स स्यूडोक्रूसिगर, पॉलीपेडेट्स प्रजातियां, स्यूडोफिलाटस कानी, राओर्चेस्टेस एक्रोपारलागी, राओर्चेस्टेस एनिली, राओर्चेस्टेस बेडडोमी, राओर्चेस्टेस बोबिनेरी, राओर्चेस्टेस छोटा, राओर्चेस्टेस पोनमुडी, राओर्चेस्टेस चालाज़ोइस, आदि; सम्मिलित हैं।

और चूँकि, नेय्यर की कुछ महत्वपूर्ण मछली प्रजातियाँ - पेप्पारा अभयारण्यों में एंगुइला बेंगालेंसिस, एप्लोचेइलस लाइनिएटस, बारिलियस बेकरी, क्लारियास डुसुमिएरी, साइप्रिनस कार्पियो, डेवेरियो एक्विपिनाटस, डेवेरियो मालाबारिकस, एट्रोप्लस मैक्यूलैटस, गर्ग ह्यूधी, गर्ग मैकलेलैंडी, गर्ग मुलिया, हेटेरोपनेस्टेस फॉसिलिस, होराबाग्रस ब्राचिसोमा, मास्टेसेम्बेलस अरमाटस, मिस्टस मालाबारिकस, नेमाचेइलस गुएंथेरी, नेमाचेइलस ट्राइएंगुलरिस, ओमपोक बिमाकुलैटस, ओमपोक मालाबारिकस, ओरियोक्रोमिस मोसाम्बिकस, प्रिस्टोलेपिस मार्जिनेटा, पुंटियस डोर्सलिस, पुंटियस फासिअसस, पुंटियस फिलामेंटोसस, पुंटियस साराना, पुंटियस टिक्टो, रासबोरा डैनिकोनियस, टोर खुद्री, आदि; सम्मिलित हैं।

और चूँकि, नेय्यर की कुछ महत्वपूर्ण तितली प्रजातियाँ - पेप्पारा अभयारण्यों में अबिसारा एचेरियस, एकेया वायोला, एक्टोलेपिस लिलासिया, एक्टोलेपिस पुस्पा, एरोमाचस डबियस, एरोमाचस पाइरमेअस, अमाथुसिया फिडिपस, एम्ब्लीपोडिया अनिता, एम्पिटिया डायोस्कोराइडस, एनाफेसिस, ऑरोटा, एंथेन लाइकेनिना, अप्पियास इंद्रा, अप्पियास लालेज, अप्पियास लिन्सिडा, अरहोपाला अमांतेस, अरहोपाला स्यूडोसेंटॉरस, एराडने एराडने, एराडने मेरियोन, अर्नेटा मरकरा, अरोहपाला एब्बियस, अथिमा नेफ्टे, अथिमा पेरियस, अथिमा रंगा, अथिमा सेलेनोफोरा, बदामिया विस्मयादिबोधक, बाओरिस फ़ार्री, बाराकस विटैटस, बिवासिस सेना, बिंदाहारा फोसाइडस, बोरबो बेवानी, बोरबो सिन्नारा, बुरारा गोमाता, बुरारा जैना, कैलेटा कैलेटा, कैल्टोरिस कैनरिका, कैल्टोरिस कुमारा, कैप्रोना अगामा, कैस्टेलियस रोज़िमोन, कैटापेसिल्मा मेजर, कैटोक्रिसोप्स स्ट्रैबो, कैटोप्सिलिया पोमोना, कैटोप्सिलिया पाइरेंथे, सेलेनोरिनस ल्यूकोसेरा, सेलेनोरिनस रुफिकोर्निस, सेफ्रेन्स क्राइसोज़ोना, आदि; सम्मिलित हैं।

और चूँकि, नेय्यर के दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त (आरईटी) - पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य चेरियादालोडकम (अधाटोडा बेडडोमेई), अकिल (अग्लिया मालाबारिका ससिध), कांथा-कामुगु (बेंटिनकिया कोंडापन्ना), मारामंजल (कोस्किनियम फेनेस्ट्रेटम), वेल्लाकिल (डाइसोक्सिलम मालाबारिकम), कट्टुकुदाम्बुली (गार्सिनिया गुम्मी-गुट्टा), अग्निशिखा (ग्लोरियोसा सुपरबा), अमृतपाल (जनकिया अरयालपथरा), चोरापयिन (कनेमा एटेनुआटा), कट्टुजाथी (मिरिस्टिका मालाबारिका), कुलमावु (पर्सिया मैक्रान्था), थिप्पाली (पाइपर लोंगम एल.), एलुकुटी (टेरोस्पर्मम रेटिकुलटम), वाथमकोलीमारम (साइजियम ट्रेवेनकोरिकम), नीरमारुथु (टर्मिनलिया अर्जुन), वेल्लापायिन (वेटेरिया इंडिका), गौर (बोस गौरस) सांभर हिरण (सर्वस यूनिकलर), जंगली बिल्ली (फेलिस चौस), काली नेण्ड खरगोश (लेपस निग्रिकोलिस), बोनट मकाक (मकाका रेडियोटा), नीलगिरि मार्टन (मार्टेस ग्वाटकिनिस), स्लांथ भालू (मेलर्सस उर्सिनस), तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), टोडी बिल्ली (पैराडाक्सुरस हेमाफ्रोडाइडस), मालाबार विशाल गिलहरी (रतुफा इंडिका), नीलगिरि तहर (नीलगिरिट्रैंगस हिलोक्रियस), नीलगिरि लंगूर (ट्रेचीपिथेकस जॉनी), जंगल मैना (एक्रिडोथेरेस फ्यूस्कस), ग्रेट हॉर्नबिल (बुसेरोस वाइकोर्निस), बड़ा सुनहरा पीठ वाला कठफोड़वा (क्राइसोकोलाप्टेस ल्यूसिडस), व्हाइट-बेलिड ट्रीपी (डेंड्रोसिटा ल्यूकोगास्ट्रा), ब्लैक ड्रोंगो (डिक्कुरस एडिसिमिलिस), ग्रे जंगल फाउल (गैलस सोननेराटी), रूपस कठफोड़वा (माइक्रोप्टर्नस ब्राच्युरस), मालाबार व्हिसलिंग थ्रश (मायियोफोनस हॉर्सफील्डी), ब्लैक हेडेड ओरियोल (ओरियोलस ज़ैथोर्नस), ऐशी प्रिनिया (प्रिनिया सोथलिस), रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल (पाइकोनोटस जोकोसस), इंडियन गार्डन लिज़र्ड (कैलोटेस वर्सिकोलर), दक्षिण भारतीय उड़ने वाली छिपकली (ड्रेको डसुमिएरी), चशमाधारी कोबरा (नाज़ा नाज़ा), बेडडोम टॉड (दत्ताफ्रीनस बेडडोमी), मालाबार पेड़ टॉड (पेडोस्टिक्स ट्यूबरकुलोसस), अनिल बुश फ्राँग (राओर्चेस्टेस एनिली), मालाबार डैनियो (डेवेरियो मालाबारिकस), पीली कैटफिश (होराबाग्रस ब्राचिसोमा), मालाबार गुलाब (पचलियोप्टा पांडियाना), बंदर पहेली (रथिंडा अमोर), दक्षिणी बर्डविंग (ट्रोइडस मिनोस), आदि;

और चूँकि, नेय्यर - पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों से दर्ज की गई प्रमुख स्थानिक प्रजातियों में अरोग्यापचा (ट्राइकोपस ज़ेलानिकस), कटुचेना (अमोफोर्फैलस कम्प्यूटेस), अंजिली (आर्टोकार्पस हिर्सुटस लैम), अमृतपाल (जनकिया अरयालपथरा), आटुचाम्बा (साइजियम ऑक्सिडेंटलिस), नीलगिरि तहर (नीलगिरिट्रैंगस हिलोक्रियस), मालाबार पतला लोरिस (लोरिस लिडेकेरियनस मालाबारिकस), ब्राउन पाम सिवेट (पैराडाक्सुरस जेरडोनी कैनिस्कस), धारीदार गर्दन वाला नेवला (हर्पेस्टेस विटिकोलिस), पश्चिमी घाट की धारीदार गिलहरी (फनमबुलस ट्रिस्ट्रिएटस), त्रावणकोर उड़ने वाली गिलहरी (पेटिनोमिस फ्यूस्कोकैपिलस), दक्षिणी पेड़ पाई (डेंड्रोसिटा ल्यूकोगास्त्र), बेडडोम का छलांग लगाने वाला मेंढक (इंदिराना बेडडोमी), मालाबार पेड़ का टॉड (पेडोस्टिक्स ट्यूबरकुलोसस), अनिल बुश फ्राँग (राओर्चेस्टेस एनिली), मालाबार डैनियो (डेवेरियो

मालाबारिकस), कनारा स्विफ्ट (कैल्टोरिस कैनारिका), मालाबार वृक्ष अप्सरा (आइडिया मालाबारिका), रेड डिस्क बुश ब्राउन (माइकैलेसिस ओकुलस), मालाबार गुलाब (पचलियोप्ता पांडियाना), मालाबार बैंडेड स्वैलो टेल (पैपिलियो लियोमेडोन), पल्लनी फोररिंग (यप्थिमा यप्थिमोइडस), आदि; सम्मिलित हैं।

और चूंकि, मायिरिस्टिका दलदल नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों में पाए जाने वाले अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। ये दलदल प्राचीन मायिरिस्टिकेसी कुल के कुछ सदस्यों जैसे मायिरिस्टिका फातुआ (कोथप्पयिन) और मायिरिस्टिका डैक्टिलॉयडस (पशुपति) की उपस्थिति के एकमात्र स्थल हैं। ये मीठे पानी के दलदल उभयचरों और सरीसृपों दोनों की प्रजाति विविधता और संख्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, नेय्यर अभयारण्य के जंगल नेय्यर नदी के जलग्रहण क्षेत्र हैं और पेप्पारा अभयारण्य के जंगल करमाना नदी के जलग्रहण क्षेत्र हैं।

और चूंकि, नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के उस क्षेत्र, विस्तार और सीमाओं का संरक्षण और सुरक्षा करना आवश्यक है, जिन्हें पैराग्राफ 1 में पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, और उक्त पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना आवश्यक है;

अतः अब, केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा केरल के नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर एक पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसके बाद पारिस्थितिकी-संवेदी जोन कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है: अर्थात्: -

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार एवं सीमाएँ.— (1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन 52.036 वर्ग किलोमीटर का होगा, जिसका विस्तार नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं से 0 (शून्य) से 2.72 किलोमीटर तक होगा और औसत दूरी 1.3 किलोमीटर होगी। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है: -

दिशा	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार (किमी)
उत्तर	1
उत्तर-पूर्व	0
पूर्व	0
दक्षिण-पूर्व	0
दक्षिण	0
दक्षिण-पश्चिम	1.23
पश्चिम	2.72
उत्तर-पश्चिम	1.05

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (इएसजेड) को शून्य घोषित करने का औचित्य:

- अभयारण्यों की उत्तर-पूर्व, पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व सीमाएँ तमिलनाडु की अंतरराज्यीय सीमा से सटी हुई हैं, जो कलाक्कड़ मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य और कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य से सटी हुई हैं।
- नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों की दक्षिणी सीमा के बाहर स्थित घनी आबादी वाले गाँवों को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन से बाहर रखा गया है।

(2) नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य तथा इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा का विवरण अनुलग्नक-1 की सारणी क, सारणी ख और सारणी ग के रूप में संलग्न है।

(3) नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों के मानचित्र, जिनमें पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का सीमांकन, सीमा विवरण तथा अक्षांश और देशांतर दर्शाए गए हैं, अनुलग्नक-IIक, अनुलग्नक-IIख और अनुलग्नक-IIग के रूप में संलग्न हैं।

(4) नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य और पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य तथा पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा के भौगोलिक निर्देशांकों की सूची अनुलग्नक-III की सारणी क, सारणी ख और सारणी ग में दी गई है।

(5) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची, उनके प्रमुख बिंदुओं पर भौगोलिक निर्देशांकों सहित, अनुलग्नक-IV की सारणी क और सारणी ख के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय लोगों से परामर्श करके और इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुरूप, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष के भीतर एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन तथा केंद्रीय और राज्य विधानों के सुसंगत और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोणों को एकीकृत किया जा सके:-

i. पर्यावरण;

ii. वन और वन्यजीव;

iii. शहरी विकास;

iv. पर्यटन;

v. नगरपालिका;

vi. राजस्व;

vii. केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

viii. पंचायती राज;

ix. कृषि;

x. लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, तथा आंचलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, में वृक्षहीन क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का प्रावधान किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के व्यौरों का निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास का विनियमित किया जाएगा और पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपाबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए निगरानी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. - (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का रूपांतरण, भाग (क) में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए, मॉनीटरिंग समिति की सिफारिश पर केंद्र तथा राज्य सरकार के शहरी नियोजन अधिनियम तथा अन्य नियमों एवं विनियमों यथा लागू, के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकती है, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 के मद में यथा उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति और राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 या उस समय लागू विधियों, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम 2) सम्मिलित है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के किसी भी उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मॉनीटरिंग समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुनः वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत. - सभी प्राकृतिक स्रोतों/नदी/नदी के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) पर्यटन या पारि-पर्यटन - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारि-पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा केरल सरकार के राजस्व एवं वन विभाग के परामर्श से तैयार किया जाएगा;

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का घटक होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारि-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्: -

- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किमी. के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी पास हो, होटलों और रिज़ॉर्ट्स के नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किमी. की दूरी के बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिज़ॉर्ट रिज़ॉर्ट्स की स्थापना की अनुमति आंचलिक महायोजना के अनुसार केवल पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और नामित क्षेत्रों में ही दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणों द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर संशोधित) के अधीन होगा, जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर जोर दिया जाएगा;

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा स्थल विशिष्ट जांच और निगरानी समितियों की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी।

- (4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व की इमारतों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्र और परिसरों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपाबंधों के अनुसार और समय-समय पर यथासंशोधित किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपाबंधों के अनुसार और समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्साव का निस्सरण** -पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उपचारित अपशिष्टों का निर्वहन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (समय-समय पर संशोधित) के अधीन आने वाले पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के लिए सामान्य मानकों और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, इनमें से जो भी अधिक कठोर हो, के उपाबंधों के अधीन होगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा. -
 - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है और समय-समय पर संशोधित किया गया है; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाएगा।
 - (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में में ठोस अपशिष्ट को जलाना या भस्म करना तथा लैंडफिल का निर्माण करना प्रतिषिद्ध होगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**. - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
 - (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन किया जाएगा;
 - (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक शोधन सुविधा या भस्मीकरण की अनुमति नहीं होगी।

- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित; अधिसूचना संख्या सा.का.नि.340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा;
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन** - पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा;
- (13) **ई-अपशिष्ट** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथासंशोधित; ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अधीन किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात** - सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपाबंध सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (15) **वाहन जनित प्रदूषण** - वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधनों जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (पीएनजी), आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां** - (क) आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तक या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;
- (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी, 2025 में जारी सिद्धान्तों में समय-समय पर संशोधित रूप में उल्लिखित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमत किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।
- (17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-
- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी;
- (ख) जिन विद्यमान ढलानों या खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-

नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) तथा अन्य लागू विधियों, जिनमें तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), 2011, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, तथा उनमें किए गए संशोधन और राज्य में प्रचलित अन्य अधिनियम सम्मिलित हैं, के उपाबंधों द्वारा संचालित होंगे। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले वन क्षेत्र वर्तमान वन विधियों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अधीन ही संचालित होता रहेगा। इस अनुच्छेद के उपाबंधों के अधीन रहते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में क्रियाकलापों का विनियमन नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणियां (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, और क्रशिंग इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय सभी नए और विद्यमान (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयों को तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया जाता है: (ख) खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश (टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 202/1995) और तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में, लोकहित याचिका संख्या 435/2012); और आईए संख्या 1000 वर्ष 2003 तारीख 03 जून, 2022। आईए संख्या 131377 वर्ष 2022, तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के निर्णय और आईए संख्या 162023, 162034, 162154 और 162155 वर्ष 2025 में तारीख 23 जुलाई 2025 के बाद के निर्णय या खनन के संबंध में कोई और आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन में नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। बशर्ते कि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2025 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, समय-समय पर संशोधित रूप में पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन जाएगा।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों को प्रवाहित करना।	प्रतिषिद्ध।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए संयुक्त भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के भीतर किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, औद्योगिक प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए साथ-साथ या पृथक भस्मीकरण सुविधा की

		स्थापना प्रतिषिद्ध है।
7.	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों इत्यादि की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	काष्ठ आधारित नया उद्योग।	प्रतिषिद्ध।
9.	विध्वंसक पदार्थों का निर्माण और भंडारण।	प्रतिषिद्ध।
10.	पहाड़ियों का व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए रूपांतरण।	प्रतिषिद्ध।
11.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
12.	जलावन लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग	प्रतिषिद्ध।
13.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
14.	नदी तटों पर अतिक्रमण और नदी तट की वनस्पति का विनाश, नदी के पत्थरों का संग्रहण।	प्रतिषिद्ध।
15.	नदी और भूमि क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट/रासायनिक अपशिष्टों का ढेर लगाना।	प्रतिषिद्ध।
16.	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट आदि के माध्यम से उड़ान भरने जैसी पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप करना।	प्रतिषिद्ध।
17.	वाणिज्यिक मत्स्य पालन।	हालांकि, जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए इसकी अनुमति है।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
18.	वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी: बशर्ते, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों

		का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
19.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: (ख) बशर्ते, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में उल्लिखित क्रियाकलापों सहित स्थानीय लोगों को उनके उपयोग के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि: (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें पक्का करना और नई सड़कों का निर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण; (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और (v) इस अधिसूचना में यथा उल्लिखित संबंधित क्रियाकलाप। बशर्ते यह कि, गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों यदि, कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर के परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
20.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	जनवरी, 2025 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु स्तरीय और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अपनी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत होंगे।
21.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई सम्बद्ध केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे।
22.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों [वन अधिकार मान्यता] अधिनियम, 2006 के अनुसार विनियमित।
23.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाए)।

	ढांचे की व्यवस्था ।	
24.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा।
25.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें पक्का बनाना ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अधीन शमन उपाय किए जाएंगे।
26.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	रात्रि में मोटर यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
28.	स्थानीय समुदायों द्वारा कृषि और बागवानी की चल रही प्रथाएँ, साथ ही डेयरी, दुग्ध पालन, जलीय कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का जल निकायों में निस्सारण नहीं होने दिया जायेगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
30.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
31.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित और क्रियाकलापों की कड़ी निगरानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
32.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
33.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
34.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
35.	पारिस्थितिकी- पर्यटन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
36.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
37.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	ग्रामीण कारीगरी इत्यादि सहित गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योग आदि ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	नवीकरणीय ऊर्जा व ईंधन का	जैविक गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।

	प्रयोग।	
42.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
45.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
46.	खराब भूमि/वनो/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
47.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

निगरानी समिति.- केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

क्रम संख्या	निगरानी समिति के सदस्य	पदनाम
1.	जिला कलेक्टर, तिरुवनंतपुरम	अध्यक्ष;
2.	जिला पंचायत अध्यक्ष, तिरुवनंतपुरम	सदस्य;
3.	केरल सरकार द्वारा प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
4.	केरल राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के एक विशेषज्ञ को केरल सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
5.	केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
6.	वन्यजीव संरक्षक, तिरुवनंतपुरम	सदस्य-सचिव;

6. निगरानी समिति की संदर्भित शर्तें. -

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपाबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्षों का होगा या तब तक, जब तक राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन नहीं किया जाता, और इसके बाद मॉनिटरिंग समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1553 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा की अनुसूची में सम्मिलित तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, जिसमें पैराग्राफ 4 के अंतर्गत सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा जांच की जाएगी, तथा जो उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को संदर्भित की जाएगी।

(4) जो क्रियाकलापों पूर्ववर्ती भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1553 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4

के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

(6) निगरानी समिति मामला-दर-मामला आधार पर आवश्यकताओं के आधार पर अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों या संबंधित पणधारियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अवधि के लिए अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट उस वर्ष 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को इस अधिसूचना से संलग्न **अनुलग्नक -V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्र सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय के आदेश आदि - इस अधिसूचना के उपाबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

अनुलग्नक -I

नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

सारणी क : नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशाएं	विवरण
उत्तर	कल्लर नदी में स्थित मीनमट्टी जलप्रपात (बिंदु 1) से शुरू होकर, जो नेय्यर बांध स्थल से लगभग 2.41 किमी उत्तर-पूर्व में है, सीमा तिरुवनंतपुरम वन प्रभाग की परुथिप्पल्ली पर्वतमाला की पूर्वी सीमा के साथ-साथ 636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित करिमलाकारी तक जाती है, फिर 491 मीटर की ऊंचाई पर स्थित छोट्टुपारा से गुजरती है और उसके बाद नेय्यर और पेप्पारा अभयारण्यों की साझा सीमा के साथ-साथ उत्तर-पूर्व दिशा में नेय्यर और करमना नदियों के जलविभाजक रेखा के साथ-साथ चलती है, जो 710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मप्पिमलाई, 985 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कन्ननकुन्नू और नाचियादिकुन्नू से गुजरते हुए 1594 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अथिरुमाला तक जाती है, जो राज्य की सीमा है।
पूर्व	अथिरुमाला से शुरू होकर, सीमा राज्य की सीमा के समानांतर चलती है, जो 1868 मीटर पर अगस्त्यमाला, 1862 मीटर पर ववत्तिमाला, 1416 मीटर पर वरयट्टुमुडी और 662 मीटर और 701 मीटर के बिंदुओं से गुजरते हुए 756 मीटर पर वेंगुलमाला तक जाती है।
दक्षिण	वेंगुलमाला से सीमा राज्य की सीमा के समानांतर अनामुघम तक जाती है और फिर पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) के स्तर के साथ-साथ नेय्यर बांध स्थल तक जाती है।
पश्चिम	बांध स्थल से सीमा एफआरएल स्तर के साथ-साथ थूरिपारा तक जाती है, जो कोट्टूर विस्तार आरक्षित क्षेत्र का एक हिस्सा है, और फिर नेट्टुकलथेरिकुन्नु आरक्षित वनों की सीमा के साथ-साथ मलावेटी तक जाती है, जो प्रारंभिक बिंदु है।

सारणी ख : पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशाएं	विवरण
उत्तर	विथुरा-बोनाकॉर्ड सड़क जिस बिंदु से पेप्पारा बांध के जलग्रहण क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहां से सीमा जलग्रहण क्षेत्र की जलविभाजक सीमा के साथ-साथ बोनाकॉर्ड चाय बागान की सीमा तक जाती है, जहां से यह बागान की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पूर्वी सीमा तक जाती है। वहां से यह पेप्पारा जलाशय की जलविभाजक सीमा के साथ-साथ चेम्मुनजिमोट्टई तक जाती है।
पूर्व	चेम्मुनजिमोट्टई से सीमा केरल और तमिलनाडु की अंतरराज्यीय सीमा के साथ-साथ अरुमुखमकुन्नू (1457 मीटर) से गुजरते हुए अथिरुमाला शिखर (1594 मीटर) तक जाती है। अथिरुमाला शिखर से सीमा नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य और करमना नदी बेसिन के जलविभाजक सीमा के साथ-साथ कादिरामुदिमलाई तक जाती है, जो निम्नलिखित चोटियों नचियादिकुन्नू (988 मीटर), कन्नन कुन्नू और करिमलाकारी (636 मीटर) से होकर गुजरती है।
दक्षिण	कादिरुमुडी से सीमा पेप्पारा जलाशय के जलविभाजक क्षेत्र का अनुसरण करती हुई अगस्तियावनम जैविक पार्क के साथ-साथ पेप्पारा बांध तक जाती है।
पश्चिम	पेप्पारा बांध से शुरू होकर, बांध के जल फैलाव क्षेत्र के बाएं किनारे के साथ-साथ, वृक्षारोपण क्षेत्रों को छोड़कर और जलग्रहण क्षेत्र में स्थित सभी प्राकृतिक आरक्षित भागों को सम्मिलित करते हुए, उत्तर में विथुरा-बोनाकॉर्ड सड़क तक, निम्नलिखित चोटियों से गुजरते हुए: ओराचनकुन्नू, वट्टापरकुन्नू, कल्लूपरकुन्नू (473 मीटर) और पुमदथु कुन्नू।

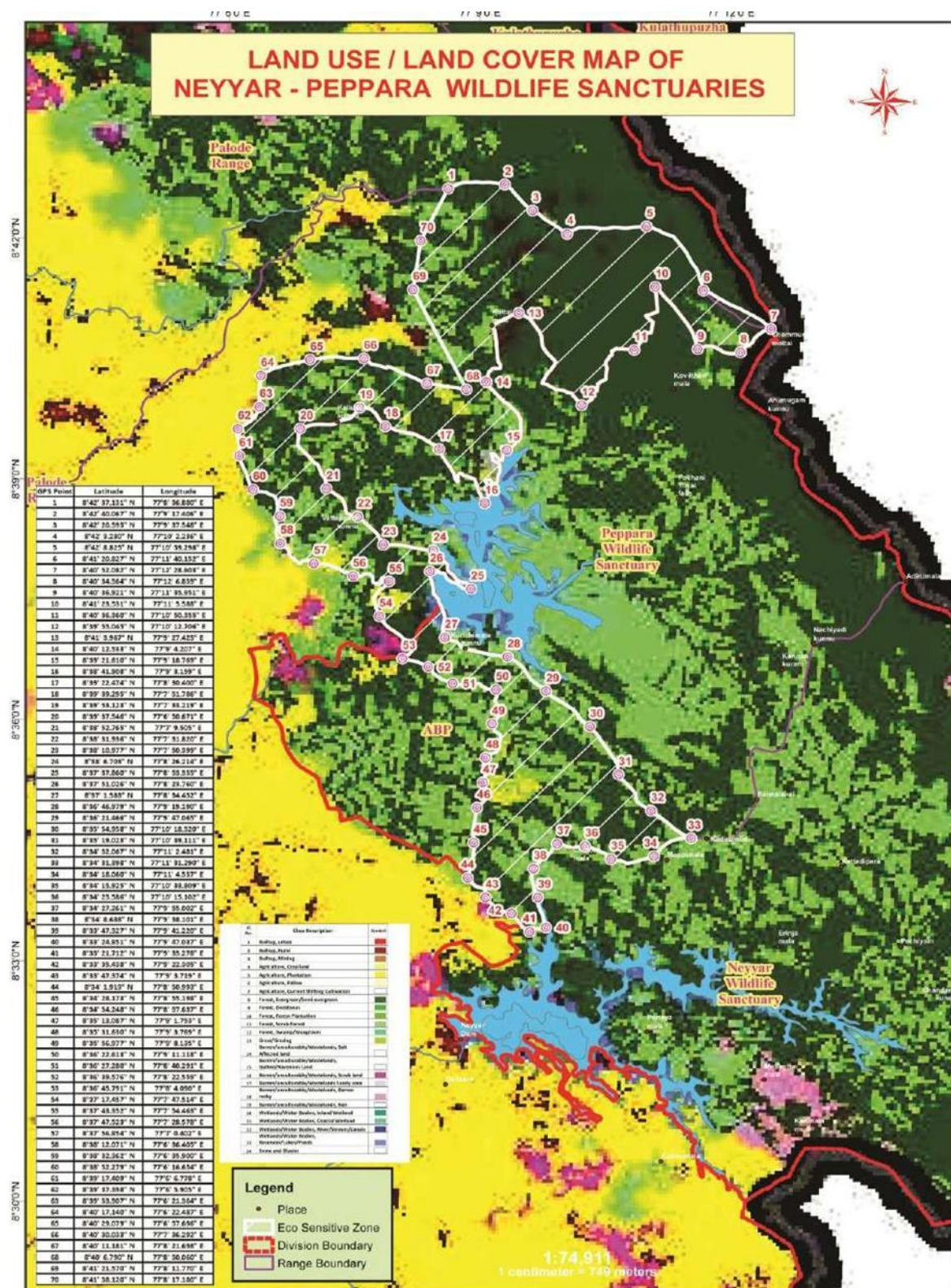
सारणी ग : नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दिशाएं	विवरण
उत्तर पूर्व	कल्लर नदी में स्थित मीनमट्टी जलप्रपात (बिंदु 1) से शुरू होकर, यह नदी के प्रवाह के साथ-साथ चेम्मुनजिमोट्टई (बिंदु 7) पर राज्य की सीमा तक बहती है। फिर चेम्मुनजिमोट्टई (बिंदु 7) से यह पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य और परिशिप्पल्ली पर्वतमाला की साझा सीमा के साथ-साथ कोट्टमाला (बिंदु 13), जिसे करिचट्टी मोटा भी कहा जाता है, तक बहती है। इसके बाद करिचट्टी मोटा से यह पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ चथेनकोड तक और फिर कल्लूपरकुन्नू (बिंदु 19) तक जाती है।
पूर्व	इसके बाद, कल्लूपरकुन्नू से पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ वट्टप्पराकुन्नू से होते हुए पॉइंट 24 पर पेप्पारा जलाशय से मिलती है और पेप्पारा जलाशय की सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ती है।
	पेप्पारा जलाशय की सीमा (बिंदु 24) से शुरू होकर, यह मार्ग पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा में कदीरमुडी (बिंदु 33) तक जाता है, और फिर कदीरमुडी से

दक्षिण पूर्व	पश्चिम दिशा में नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ छोट्टुपारा (बिंदु 37) से होकर गुजरता है।
दक्षिण	छोट्टुपारा से नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य सीमा के साथ-साथ कप्पुकाडु (प्वाइंट 40) तक चलता है।
दक्षिण पश्चिम	कप्पुकाडु से सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए (बिंदु 41) लक्ष्म वीडू कॉलोनी के पास तक जाएं।
पश्चिम	लक्ष्म वीडू कॉलोनी (बिंदु 41) से शुरू होकर यह सीमा के समानांतर दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कोट्टूर सेक्शन वन कार्यालय (बिंदु 44) तक जाती है।
पश्चिम उत्तर	बिंदु 44 से, सीमा कोट्टूर-वलीपारा-चोनमपारा के साथ मनकोड तक बढ़ती है जब तक कि यह अंचुनाज़िका थोडु (प्वाइंट 50) तक नहीं पहुंच जाती और कोट्टुपारा थोडु (प्वाइंट 53) तक जारी रहती है।
उत्तर	कूटप्पारा थोडु (बिंदु 53) से सीमा विथुरा-पेप्पारा सड़क के साथ-साथ चलती है जब तक कि यह मनक्कल तक नहीं पहुंच जाती और वहां से परुथिप्पल्ली रेंज की वन सीमा के पास कलियक्कल स्ट्रीट रोड से होकर गुजरती है और वहां से कनिथदाम, काथिपार्टा, नालुमराथिनमूडु के माध्यम से मनीथुक्की-मक्की की ओर पारुथिप्पल्ली रेंज की सीमा तक बढ़ जाती है जब तक यह नहीं पहुंचती। और मीनमुट्टी झरना (बिंदु 1) पर समाप्त होता है

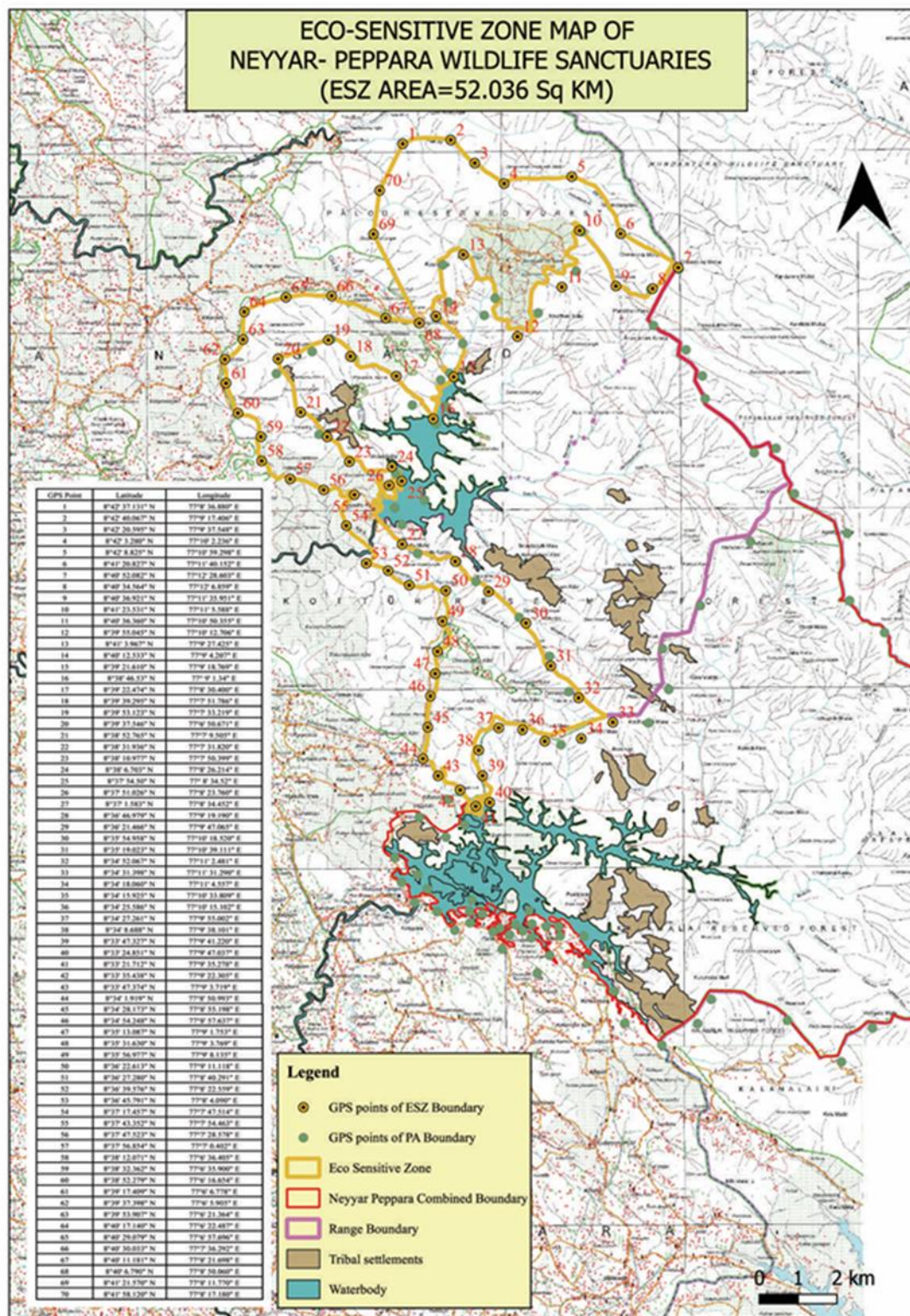
अनुलग्नक-II क

नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग और भूमि आवरण मानचित्र, जिसमें प्रमुख स्थानों के अक्षांश और देशांतर दर्शाए गए हैं।



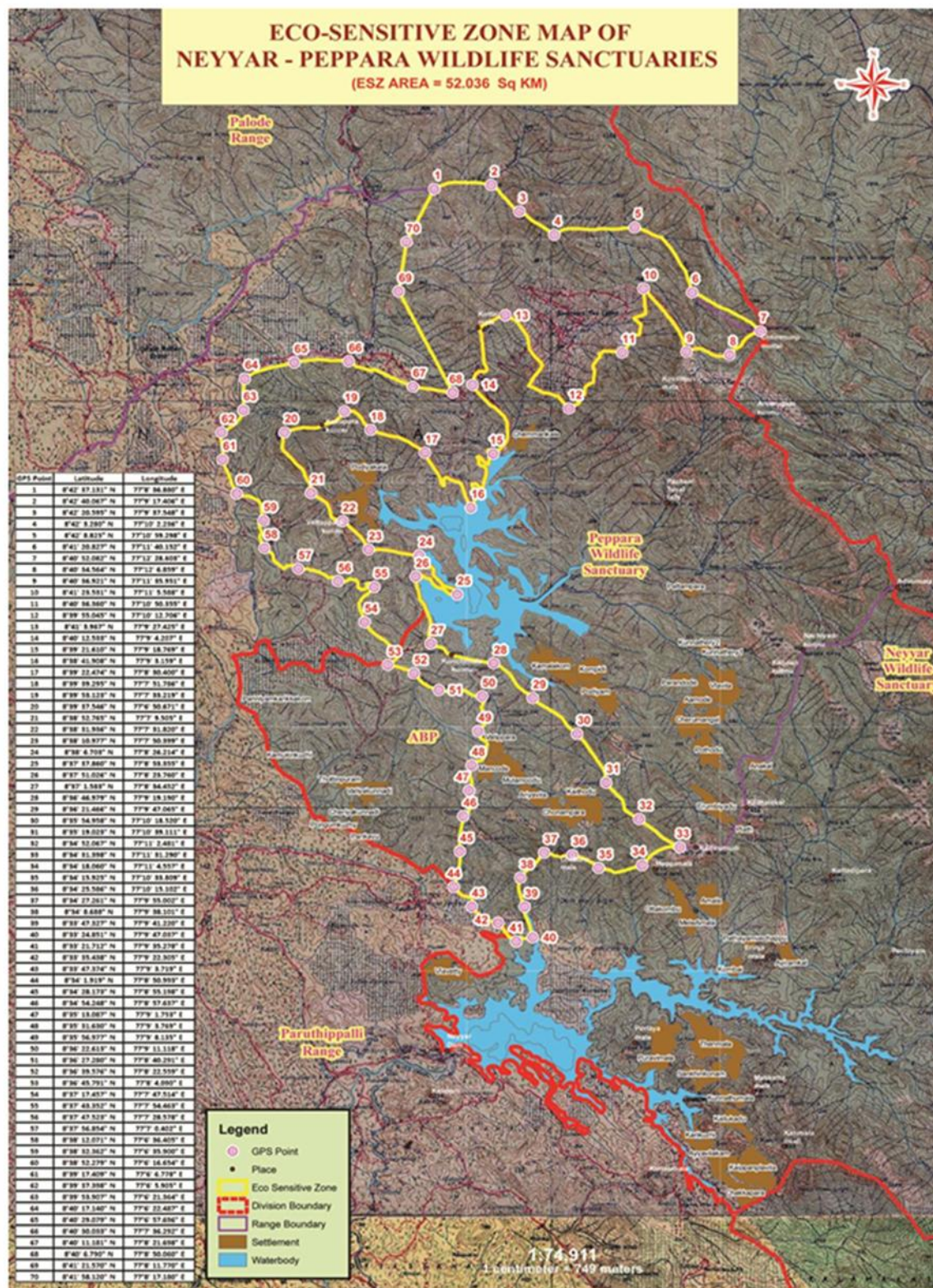
अनुलग्नक -II ख

नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र, साथ ही एसओआई स्थलाकृति पर प्रमुख स्थानों के अक्षांश और देशांतर।



अनुलग्नक-II ग

नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र, साथ ही प्रमुख स्थानों के अक्षांश और देशांतर दर्शाए गए हैं।



अनुलग्नक-III

सारणी क : नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर स्थित प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्रम संख्या	स्थान	देशांतर	अक्षांश
1	क्लैमला 1	77°14' 42.25" पू	8°29' 45.82" उ
2	क्लैमला 1	77°13' 56.9" पू	8°30' 20.91" उ
3	क्लैमला 1	77°12' 52.72" पू	8°30' 39" उ
4	क्लैमला 1	77°12' 41.2" पू	8°30' 18.61" उ
5	क्लैमला 1	77°12' 11.02" पू	8°30' 0.79" उ
6	क्लैमला 2	77°15' 20.77" पू	8°35' 45.32" उ
7	क्लैमला 2	77°14' 51.36" पू	8°36' 12.21" उ
8	क्लैमला 2	77°15' 50.52" पू	8°35' 14.08" उ
9	क्लैमला 2	77°16' 4.43" पू	8°34' 56.31" उ
10	क्लैमला 2	77°16' 11.84" पू	8°34' 38.24" उ
11	क्लैमला 2	77°16' 33.59" पू	8°33' 50.64" उ
12	क्लैमला 2	77°17' 5.03" पू	8°32' 42.3" उ
13	क्लैमला 2	77°16' 30.73" पू	8°31' 55.93" उ
14	क्लैमला 2	77°15' 46.87" पू	8°30' 17.71" उ
15	क्लैमला 2	77°15' 8.58" पू	8°30' 14.08" उ
16	कोट्टूर	77°14' 5.44" पू	8°37' 42.04" उ
17	कोट्टूर	77°8' 47.64" पू	8°33' 12.98" उ
18	कोट्टूर	77°8' 26.8" पू	8°32' 39" उ
19	कोट्टूर	77°8' 45.96" पू	8°32' 24.88" उ
20	कोट्टूर	77°8' 54.34" पू	8°32' 12.69" उ
21	कोट्टूर	77°8' 32.32" पू	8°32' 18.42" उ
22	कोट्टूर	77°8' 43.48" पू	8°32' 1.54" उ
23	कोट्टूर	77°9' 2.21" पू	8°31' 53.5" उ
24	कोट्टूर	77°9' 17.13" पू	8°31' 38.01" उ
25	कोट्टूर	77°9' 10" पू	8°32' 56.01" उ
26	कोट्टूर	77°9' 26" पू	8°33' 6.35" उ
27	कोट्टूर	77°9' 11.39" पू	8°33' 27.61" उ
28	कोट्टूर	77°14' 49.85" पू	8°37' 8.7" उ
29	कोट्टूर	77°11' 39.77" पू	8°30' 19.13" उ
30	कोट्टूर	77°11' 31.44" पू	8°30' 46.35" उ
31	कोट्टूर	77°11' 8.11" पू	8°31' 9.1" उ
32	कोट्टूर	77°11' 5.51" पू	8°31' 32.37" उ
33	कोट्टूर	77°10' 44.7" पू	8°31' 40.48" उ
34	कोट्टूर	77°10' 34.12" पू	8°31' 40.69" उ
35	कोट्टूर	77°10' 45.88" पू	8°31' 32.76" उ
36	कोट्टूर	77°10' 19.98" पू	8°31' 54.05" उ
37	कोट्टूर	77°10' 22.08" पू	8°31' 43.01" उ

38	कोट्टूर	77°10' 36.92" पू	8°31' 16.45" उ
39	कोट्टूर	77°10' 14.44" पू	8°31' 37.11" उ
40	कोट्टूर	77°10' 21.32" पू	8°31' 31.19" उ
41	कोट्टूर	77°10' 8.28" पू	8°31' 42.28" उ
42	कोट्टूर	77°9' 31.34" पू	8°32' 3.16" उ
43	कोट्टूर	77°10' 3.37" पू	8°31' 33.99" उ
44	कोट्टूर	77°10' 26.38" पू	8°31' 1.62" उ
45	कोट्टूर	77°9' 56.95" पू	8°31' 21.97" उ
46	कोट्टूर	77°9' 55.08" पू	8°31' 39.55" उ
47	कोट्टूर	77°9' 40.13" पू	8°31' 51.54" उ
48	कोट्टूर	77°9' 49.25" पू	8°31' 36.34" उ
49	कोट्टूर	77°9' 29.44" पू	8°31' 53.81" उ
50	कोट्टूर	77°9' 29.89" पू	8°31' 44.12" उ
51	कोट्टूर	77° 13' 28.06" पू	8° 37' 2.11" उ
52	कोट्टूर	77° 12' 45.57" पू	8° 36' 8.78" उ
53	कोट्टूर	77° 12' 13.71" पू	8° 35' 32.78" उ
54	कोट्टूर	77° 12' 18.51" पू	8° 34' 58.68" उ
55	कोट्टूर	77° 12' 1.55" पू	8° 34' 30.8" उ
56	कोट्टूर	77° 10' 47.47" पू	8° 34' 12.89" उ
57	कोट्टूर	77° 9' 54.94" पू	8° 34' 27.18" उ
58	कोट्टूर	77° 9' 46.93" पू	8° 33' 24.49" उ

सारणी ख: पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ स्थित प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.स	स्थान	देशान्तर	अक्षांश
1	अथिरुमला	77° 8' 34.39" पू	8° 37' 17.98" उ
2	अथिरुमला	77° 8' 47.52" पू	8° 36' 53.72" उ
3	अथिरुमला	77° 9' 20.44" पू	8° 36' 46.85" उ
4	अथिरुमला	77° 9' 36.48" पू	8° 36' 30.11" उ
5	अथिरुमला	77° 10' 12.85" पू	8° 35' 59.74" उ
6	अथिरुमला	77° 10' 38.21" पू	8° 35' 27.05" उ
7	अथिरुमला	77° 10' 54.38" पू	8° 34' 57.29" उ
8	अथिरुमला	77° 13' 28.06" पू	8° 37' 2.11" उ
9	अथिरुमला	77° 12' 45.57" पू	8° 36' 8.78" उ
10	अथिरुमला	77° 12' 13.71" पू	8° 35' 32.78" उ
11	अथिरुमला	77° 12' 18.51" पू	8° 34' 58.68" उ
12	अथिरुमला	77° 12' 1.55" पू	8° 34' 30.8" उ
13	अथिरुमला	77°12' 34.72" पू	8°39' 43.23" उ
14	अथिरुमला	77°12' 48.43" पू	8°39' 21.28" उ
15	अथिरुमला	77°12' 50.66" पू	8°39' 2.15" उ
16	अथिरुमला	77°13' 31.71" पू	8°38' 16.61" उ

17	अथिरुमला	77°13' 50.18" पू	8°38' 20.23" उ
18	थोडयार	77°8' 28.44" पू	8°37' 32.27" उ
19	थोडयार	77°8' 23.76" पू	8°37' 51.03" उ
20	थोडयार	77°8' 53.74" पू	8°37' 38.61" उ
21	थोडयार	77°7' 50.4" पू	8°38' 10.98" उ
22	थोडयार	77°8' 29.44" पू	8°38' 0.62" उ
23	थोडयार	77°7' 25.06" पू	8°38' 34.08" उ
24	थोडयार	77°7' 9.72" पू	8°38' 51.92" उ
25	थोडयार	77°6' 49.29" पू	8°39' 25.14" उ
26	थोडयार	77°7' 19.5" पू	8°39' 43.5" उ
27	थोडयार	77°7' 35.45" पू	8°39' 53.66" उ
28	थोडयार	77°7' 53.36" पू	8°39' 38.43" उ
29	थोडयार	77°8' 43.78" पू	8°38' 58.13" उ
30	थोडयार	77°9' 3.56" पू	8°38' 42.4" उ
31	थोडयार	77°9' 11.87" पू	8°38' 57.04" उ
32	थोडयार	77°9' 7.75" पू	8°39' 19.07" उ
33	थोडयार	77°9' 15.46" पू	8°39' 24.7" उ
34	थोडयार	77°9' 26.57" पू	8°39' 49.46" उ
35	थोडयार	77°9' 4.21" पू	8°40' 11.63" उ
36	थोडयार	77°9' 14.56" पू	8°40' 24.26" उ
37	थोडयार	77°9' 10.15" पू	8°40' 55.53" उ
38	थोडयार	77°9' 27.44" पू	8°41' 3.98" उ
39	थोडयार	77°9' 54.05" पू	8°40' 27.35" उ
40	थोडयार	77°9' 44.79" पू	8°40' 13" उ
41	थोडयार	77°10' 12.93" पू	8°39' 55.02" उ
42	थोडयार	77°10' 30.25" पू	8°40' 14.68" उ
43	थोडयार	77°10' 50.91" पू	8°40' 36.36" उ
44	थोडयार	77°11' 2.49" पू	8°40' 49.49" उ
45	थोडयार	77°11' 7.62" पू	8°41' 22.53" उ
46	थोडयार	77°11' 36.15" पू	8°40' 36.86" उ
47	थोडयार	77°12' 5.39" पू	8°40' 33.89" उ
48	थोडयार	77°12' 29.1" पू	8°40' 50.72" उ
49	थोडयार	77°12' 7.42" पू	8°40' 3.7" उ

सारणी ग: नेय्यर-पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्यों के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

जीपीएस बिन्दु	अक्षांश	देशान्तर
1	8°42' 37.131" उ	77°8' 36.880" पू
2	8°42' 40.067" उ	77°9' 17.406" पू
3	8°42' 20.595" उ	77°9' 37.548" पू
4	8°42' 3.280" उ	77°10' 2.236" पू
5	8°42' 8.825" उ	77°10' 59.298" पू
6	8°41' 20.827" उ	77°11' 40.152" पू
7	8°40' 52.082" उ	77°12' 28.603" पू
8	8°40' 34.564" उ	77°12' 6.859" पू
9	8°40' 36.921" उ	77°11' 35.951" पू
10	8°41' 23.531" उ	77°11' 5.588" पू
11	8°40' 36.360" उ	77°10' 50.355" पू
12	8°39' 55.045" उ	77°10' 12.706" पू
13	8°41' 3.967" उ	77°9' 27.425" पू
14	8°40' 12.533" उ	77°9' 4.207" पू
15	8°39' 21.610" उ	77°9' 18.769" पू
16	8°38' 41.908" उ	77°9' 3.159" पू
17	8°39' 22.474" उ	77°8' 30.400" पू
18	8°39' 39.295" उ	77°7' 51.786" पू
19	8°39' 53.123" उ	77°7' 33.219" पू
20	8°39' 37.546" उ	77°6' 50.671" पू
21	8°38' 52.765" उ	77°7' 9.505" पू
22	8°38' 31.936" उ	77°7' 31.820" पू
23	8°38' 10.977" उ	77°7' 50.399" पू
24	8°38' 6.703" उ	77°8' 26.214" पू
25	8°37' 37.860" उ	77°8' 53.355" पू
26	8°37' 51.026" उ	77°8' 23.760" पू
27	8°37' 1.583" उ	77°8' 34.452" पू
28	8°36' 46.979" उ	77°9' 19.190" पू
29	8°36' 21.466" उ	77°9' 47.065" पू
30	8°35' 54.958" उ	77°10' 18.520" पू
31	8°35' 19.023" उ	77°10' 39.111" पू
32	8°34' 52.067" उ	77°11' 2.481" पू
33	8°34' 31.398" उ	77°11' 31.290" पू
34	8°34' 18.060" उ	77°11' 4.557" पू
35	8°34' 15.925" उ	77°10' 33.809" पू
36	8°34' 25.586" उ	77°10' 15.102" पू
37	8°34' 27.261" उ	77°9' 55.002" पू
38	8°34' 8.688" उ	77°9' 38.101" पू
39	8°33' 47.327" उ	77°9' 41.220" पू
40	8°33' 24.851" उ	77°9' 47.037" पू
41	8°33' 21.712" उ	77°9' 35.278" पू
42	8°33' 35.438" उ	77°9' 22.305" पू
43	8°33' 47.374" उ	77°9' 3.719" पू
44	8°34' 1.919" उ	77°8' 50.993" पू
45	8°34' 28.173" उ	77°8' 55.198" पू
46	8°34' 54.248" उ	77°8' 57.637" पू

47	8°35' 13.087" उ	77°9' 1.753" पू
48	8°35' 31.630" उ	77°9' 3.769" पू
49	8°35' 56.977" उ	77°9' 8.135" पू
50	8°36' 22.613" उ	77°9' 11.118" पू
51	8°36' 27.280" उ	77°8' 40.291" पू
52	8°36' 39.576" उ	77°8' 22.559" पू
53	8°36' 45.791" उ	77°8' 4.090" पू
54	8°37' 17.457" उ	77°7' 47.514" पू
55	8°37' 43.352" उ	77°7' 54.463" पू
56	8°37' 47.523" उ	77°7' 28.578" पू
57	8°37' 56.854" उ	77°7' 0.402" पू
58	8°38' 12.071" उ	77°6' 36.405" पू
59	8°38' 32.362" उ	77°6' 35.900" पू
60	8°38' 52.279" उ	77°6' 16.654" पू
61	8°39' 17.409" उ	77°6' 6.778" पू
62	8°39' 37.398" उ	77°6' 5.905" पू
63	8°39' 53.907" उ	77°6' 21.364" पू
64	8°40' 17.140" उ	77°6' 22.487" पू
65	8°40' 29.079" उ	77°6' 57.696" पू
66	8°40' 30.033" उ	77°7' 36.292" पू
67	8°40' 11.181" उ	77°8' 21.698" पू
68	8°40' 6.790" उ	77°8' 50.060" पू
69	8°41' 21.570" उ	77°8' 11.770" पू
70	8°41' 58.120" उ	77°8' 17.180" पू

अनुलग्नक-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गाँवों की प्रमुख सीमाओं के भू-निर्देशांक

सारणी क : नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गाँवों की उनके भू-निर्देशांकों के साथ सूची।

क्र.स.	गाँव का नाम	गाँव के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश(उ)	देशान्तर(पू)
शून्य						

सारणी ख : नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गाँवों की उनके भू-निर्देशांकों के साथ सूची।

क्र.स.	गाँव का नाम	गाँव के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश(उ)	देशान्तर(पू)
1	मन्नूरकारा	राजस्व	नेदुमंगड	तिरुवनंतपुरम	8°33'41"	77°7'34.64"
2	विथुरा	राजस्व	नेदुमंगड	तिरुवनंतपुरम	8°40'54.48"	77°6'7.92"

अनुलग्नक-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति की कार्रवाई रिपोर्ट का प्रारूप:-

1. बैठकों की संख्या और तिथि
2. बैठक के कार्यवृत्त: मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक का कार्यवृत्त अलग अनुलग्नक में संलग्न है:
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति;
4. भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सारांश: विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जा जाए :
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश, विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए:
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नहीं की गई क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश। विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए:
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सारांश:
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला:

[फा.सं. 25/104/2015-ईएसजेड-आरई]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

S.O. 4052(E).—The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries are the southern most Protected Areas in the State of Kerala. It forms a part of core area of the Agasthayamalai Biosphere Reserve and Periyar Elephant Reserve in the Western Ghats. These two wildlife sanctuaries have rich biodiversity and are named after the two rivers, viz. Neyyar and Peppara respectively. The Neyyar Wildlife Sanctuary falls in Klamala extension, Kottur extension and Nettukaltherikunnu Reserve Forests. The Peppara Wildlife Sanctuary falls in Kottur & Palode Reserve Forests. The wildlife sanctuaries are administrative control of the Thiruvananthapuram Wildlife Division.

AND WHEREAS, the Neyyar Wildlife Sanctuary is spread over south-east corner of the Western Ghats covering an area of 128 km². It is situated between 8°17' and 8°53'N Latitude and 76°40' and 77°17'E Longitude in Neyyatinkara Taluka of Thiruvananthapuram district;

AND WHEREAS, the Peppara Wildlife Sanctuary is spread over an area of 53 km² and falls in Kottur & Palode Reserve Forests. It is situated between 80° 34' and 80° 41'N Latitude and 77° 6' and 77°14'E Longitude in Nedumangad Taluka of Thiruvananthapuram district;

AND WHEREAS, the Neyyar Wildlife Sanctuary was notified vide GO (MS) 871/58 AD dated 06.01.1958 and the boundaries of the same was re-notified vide GO (P)NO.2305/F2/71 AD dated 18.03.1971 adding the Neyyar Reservoir into the wildlife sanctuary. The Peppara Wildlife Sanctuary was notified vide GO(P) No. 379/83 AD dated 21.12.1981;

AND WHEREAS, the protected areas harbours almost all the major mammals of peninsular India. The topography and the climate of the sanctuary enable the occurrence of varied micro and macro habitats to shelter its variety of animals. The faunal diversity includes mammals (43 species), birds (233 species), reptiles (46 species), amphibians (13 species) fishes (27 species) and a wide variety of butterflies;

AND WHEREAS, the Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries are treasure houses of plant diversity with about 1000 species of flowering plants belonging to more than 132 families, which represents nearly 22% of the total flowering plants estimated from Kerala. The vegetation mainly comprises of Evergreen and Moist Deciduous Forest which includes a variety of medicinal plants and tree species such as *Abrus precatorius*, *Adhatoda zeylanica* Medic., *Alngium salvifolium*, *Aloe vera*, *Alphonsea zeylanica*, *Asparagus racemosus*, *Bombax ceiba*, *Caesalpinia mimosoides*, *Calamus brandisii*, *Calophyllum apetalum*, *Canarium strictum* Roxb, *Cassia fistula*, *Cinnamomum travancoricum* Gamble, *Curcuma pseudomontana* Graham, *Cyathea gigantean*, *Dalbergia latifolia*, *Helicteres isora*, *Murraya koenigii*, *Myristica dactyloides* Gaertn, *Piper longum*, *Syzygium travancoricum* Gamble, *Terminalia arjuna*, *Terminalia bellerica*, *Terminalia chebula*, *Terminalia paniculata*, *Trichopus zeylanicus*, *Waltheria indica*, *Wrightia tinctoria*, etc;

AND WHEREAS, some of the important mammals of Neyyar - Peppara Sanctuaries includes *Panthera tigris*, *Panthera pardus*, *Cuon alpinus*, *Bos gaurus*, *Elephas maximus*, *Muntiacus muntjak*, *Lepus nigricollis*, *Macaca radiata*, *Herpestes fuscus*, *Rattus norvegicus*, *Pteropus giganteus*, *Manis crassicaudata*, *Hystrix indica*, *Sus scrofa*, *Felis chaus*, *Macacca silenus*, *Ratufa indica*, *Moschola meminna*, *Nilgiritragus hylocrius*, *Trachypithecus johnii*, *Martes gwatkinsii*, *Cervus unicolor*, *Melursus ursinus*, *Viverricula indica*, *Petinomys fuscocapillus*, *Lutrogale perspicillata*, *Funambulus palmarum*, *Paradoxurus hermaphrodites* etc;

AND WHEREAS, some of the important birds of Neyyar - Peppara Sanctuaries includes *Perdica asiatica*, *Perdica argoondah*, *Perdica erythrorhyncha*, *Galloperdix spadicea*, *Gallus sonneratii*, *Picumnus innominatus*, *Dendrocopos nanus*, *Dendrocopos mahrattensis*, *Micropternus brachyurus*, *Dryocopus javensis*, *Picus chlorolophus*, *Picus xanthopygaeus*, *Dinopium javanense*, *Dinopium benghalense*, *Chrysocolaptes lucidus*, *Hemicircus canente*, *Ceyx erithacus*, *Megalaima viridis*, *Megalaima rubricapilla*, *Megalaima haemacephala*, *Ocyrceros griseus*, *Buceros bicornis*, *Upupa epops*, *Harpactes fasciatus*, *Alcedo meninting*, *Coracias benghalensis*, *Alcedo atthis*, *Pelargopsis capensis*, *Halcyon smyrnensis*, *Ceryle rudis*, etc;

AND WHEREAS, some of the important reptile species of Neyyar - Peppara Sanctuaries includes *Ahaetulla nasuta*, *Calotes versicolor*, *Chamaeleo zeylanicus*, *Draco dussumieri*, *Hypnale hypnale*, *Naja naja*, etc;

AND WHEREAS, some of the important amphibian species of Neyyar - Peppara Sanctuaries includes *Duttaphrynus beddomii*, *Duttaphrynus melanostictus*, *Duttaphrynus parietalis*, *Pedostibes tuberculosus*, *Euphlyctis cyanophlyctis*, *Euphlyctis hexadactylus*, *Fejervarya keralensis*, *Hoplobatrachus tigerinus*, *Fejervarya sp*, *Micrixalus fuscus*, *Micrixalus sp*, *Ramanella sp*, *Nyctibatrachus aliciae*, *Nyctibatrachus beddomii*, *Nyctibatrachus major*, *Nyctibatrachus minor*, *Nyctibatrachus pillai*, *Nyctibatrachus vasanthi*, *Cinotarsus curtipes*, *Hylarana aurantiaca*, *Hylarana temporalis*, *Indirana beddomii*, *Indirana diplosticta*, *Indirana sp*, *Polypedates pseudocruciger*, *Polypedates sp*, *Pseudophilautus kani*, *Raorchestes akroparallagi*, *Raorchestes anili*, *Raorchestes beddomii*, *Raorchestes bobingeri*, *Raorchestes chotta*, *Raorchestes ponmudi*, *Raorchestes chalazodes*, etc;

AND WHEREAS, some of the important fish species of Neyyar - Peppara Sanctuaries includes *Anguilla bengalensis*, *Aplocheilichthys lineatus*, *Barilius bakeri*, *Clarias dussumieri*, *Cyprinus carpio*, *Devario aequipinnatus*, *Devario malabaricus*, *Etioplos maculatus*, *Garra hughii*, *Garra maclellandi*, *Garra mullia*, *Heteropneustes fossilis*, *Horabagrus brachysoma*, *Mastacembelus armatus*, *Mystus malabaricus*, *Nemacheilus guentheri*, *Nemacheilus triangularis*, *Ompok bimaculatus*, *Ompok malabaricus*, *Oreochromis mossambicus*, *Pristolepis marginata*, *Puntius dorsalis*, *Puntius fasciatus*, *Puntius filamentosus*, *Puntius sarana*, *Puntius ticto*, *Rasbora daniconius*, *Tor Khudree*, etc;

AND WHEREAS, some of the important butterfly species of Neyyar - Peppara Sanctuaries includes *Abisara echerius*, *Acraea violae*, *Actolepis lilacea*, *Actolepis puspa*, *Aeromachus dubius*, *Aeromachus pygmaeus*, *Amathusia phidippus*, *Amblypodia anita*, *Ampittia dioscorides*, *Anaphaeis aurota*, *Anthene lycaenina*, *Appias indra*, *Appias Lalage*, *Appias lyncida*, *Arhopala amantes*, *Arhopala pseudocentaurus*, *Ariadne Ariadne*, *Ariadne merione*, *Arnetta mercara*, *Arohopala abseus*, *Athyma nefte*, *Athyma perius*, *Athyma ranga*, *Athyma selenophora*, *Badamia*

exclamationis, *Baoris farri*, *Baracus vittatus*, *Bibasis sena*, *Bindahara phocides*, *Borbo bevani*, *Borbo cinnara*, *Burara gomata*, *Burara jaina*, *Caleta caleta*, *Caltoris canaraica*, *Caltoris kumara*, *Caprona agama*, *Castalius rosimon*, *Catapaecilma major*, *Catochrysops Strabo*, *Catopsilia pomona*, *Catopsilia pyranthe*, *Celaenorrhinus leucocera*, *Celaenorrhinus ruficornis*, *Cephrenes chrysozona*, etc;

AND WHEREAS, the rare, endangered and threatened (RET) of the Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries are Cheriyaadalodakam (*Adhatoda beddomei*), Akil (*Aglaia malabarica Sasidh.*), Kantha-kamugu (*Bentinckia condapanna*), Maramanjil (*Coscinium fenestratum*), Vellakil (*Dysoxylum malabaricum*), Kattukudambulli (*Garcinia gummi-gutta*), agnisikha (*Gloriosa superba*), Amrithapala (*Janakia arayalpathra*), Chorapyyin (*Knema attenuata*), Kattujathi (*Myristica malabarica*), Kulamavu (*Persea macrantha*), Thippali (*Piper longum L.*), Ellukooti (*Pterospermum reticulatum*), Vathamkollimaram (*Syzygium travancoricum*), Neermaruthu (*Terminalia arjuna*), Vellapayin (*Vateria indica*), Gaur (*Bos gaurus*) Sambar deer (*Cervus unicolor*), Jungle cat (*Felis chaus*), Black naped hare (*Lepus nigricollis*), Bonnet macaque (*Macaca radiata*), Nilgiri marten (*Martes gwatkinsii*), Sloth bear (*Melursus ursinus*), Leopard (*Panthera pardus*), Toddy cat (*Paradoxurus hemaphrodites*), Malabar giant squirrel (*Ratufa indica*), Nilgiri Tahr (*Nilgiritragus hylocrius*), Nilgiri langur (*Trachypithecus johnii*), Jungle myna (*Acridotheres fuscus*), Great Hornbill (*Buceros bicornis*), Larger golden backed woodpecker (*Chrysocolaptes lucidus*), White-bellied treepie (*Dendrocitta leucogastra*), Black drongo (*Dicrurus adsimilis*), Grey jungle fowl (*Gallus sonneratii*), Rufous woodpecker (*Micropternus brachyurus*), Malabar whistling thrush (*Myiophonus horsfieldii*), Black headed oriole (*Oriolus xanthornus*), Ashy prinia (*Prinia socialis*), Red whiskered bulbul (*Pycnonotus jocosus*), Indian garden lizard (*Calotes versicolor*), South Indian flying lizard (*Draco dussumieri*), Spectacled cobra (*Naja naja*), Beddome's toad (*Duttaphrynus beddomii*), Malabar tree toad (*Pedostibes tuberculosus*), Anil's bush frog (*Raorchestes anili*), Malabar danio (*Devario malabaricus*), Yellow catfish (*Horabagrus brachysoma*), Malabar rose (*Pachliopta pandiyana*), Monkey puzzle (*Rathinda amor*), Southern birdwing (*Troides minos*), etc;

AND WHEREAS, major endemic species recorded from the Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries includes Arogyapacha (*Trichopus zeylanicus*), Kattuchena (*Amorphophallus commutatus*), Anjili (*Artocarpus hirsutus Lam.*), Amrithapala (*Janakia arayalpathra*), Aatuchamba (*Syzygium occidentalis*), Nilgiri tahr (*Nilgiritragus hylocrius*), Malabar slender loris (*Loris lydekkerianus malabaricus*), Brown palm civet (*Paradoxurus jerdoni caniscus*), Stripe-necked mongoose (*Herpestes vitticollis*), Western Ghats striped squirrel (*Funambulus tristriatus*), Travancore flying squirrel (*Petinomys fuscocapillus*), Southern tree pie (*Dendrocitta leucogastra*), Beddome's leaping frog (*Indirana beddomii*), Malabar tree toad (*Pedostibes tuberculosus*), Anil's bush frog (*Raorchestes anili*), Malabar danio (*Devario malabaricus*), Kanara swift (*Caltoris canaraica*), Malabar tree nymph (*Idea malabarica*), Red disk bush brown (*Mycalesis oculus*), Malabar rose (*Pachliopta pandiyana*), Malabar banded swallow tail (*Papilio liomedon*), palni fourring (*Ypthima ypthimoides*), etc;

AND WHEREAS, the Myristica swamps are one of the unique ecosystems found in Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries. These swamps are the only sites of occurrence of certain members of the ancient family Myristicaceae such as *Myristica fatua* (Kothappayin) and *Myristica dactyloides* (Pashupathi). These freshwater swamps play an important role in regulating the species diversity and abundance of both amphibians and reptiles. Also, the forests of Neyyar Sanctuary are the catchment areas of Neyyar River and forests of Peppara Sanctuary are the catchment areas of Karamana River;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of the Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an Eco-Sensitive Zone around the boundary of Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries of Kerala (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.** – (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 52.036 sq. km with an extent of 0 (zero) to 2.72 kilometer with a mean distance of 1.3 km from the boundaries of the Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries. The Extent of Eco-Sensitive Zone in different directions is given below: -

Direction	Extent of Eco-Sensitive Zone (km)
North	1
North-East	0
East	0

South-East	0
South	0
South -West	1.23
West	2.72
North-West	1.05

Justification for zero ESZ:

- The north-east, east, south, and south-east boundaries of the sanctuaries are contiguous with the interstate boundary of Tamil Nadu, adjoining the Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve and the Kanyakumari Wildlife Sanctuary.
- Densely populated villages present outside the southern boundary of Neyyar-Peppara wildlife sanctuaries are excluded from Eco- Sensitive Zone area.
 - (2) The boundary description of Neyyar Wildlife Sanctuary and Peppara Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended as Table A, Table B and Table C of Annexure-I.
 - (3) The maps of the Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB, and Annexure-IIC.
 - (4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Neyyar Wildlife Sanctuary and Peppara Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in Table A, Table B and Table C of Annexure-III.
 - (5) The list of villages falling in the Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Table A and Table B of Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. –

- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in conformity to the provisions of this notification.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in accordance with the provisions of this notification and in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan: -
 - i. Environment;
 - ii. Forest and Wildlife;
 - iii. Urban Development;
 - iv. Tourism;
 - v. Municipality;
 - vi. Revenue;
 - vii. Kerala State Pollution Control Board;
 - viii. Panchayati Raj;
 - ix. Agriculture;
 - x. Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure, and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and ensure and promote eco-friendly development for security of local community's livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government. – The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:

(1) **Land use.** – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority in the State Government and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

- i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- iii. Small scale industries not causing pollution;
- iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- v. Promoted activities and given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority in the State Government and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- b. Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.** – The catchment areas of all natural springs/river/channel shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism or eco-tourism.** – (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone;

- a. the Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Department of Revenue and Forests, Government of Kerala;
- b. the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;
- c. the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;
- d. the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

- i. No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of the 1 km from the boundaries of the protected areas till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts for eco-friendly tourism activities shall be allowed only in predefined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- ii. All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the ESZ shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guideline issued by National Tiger Conservation Authorities (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development based on the carrying capacity study of the ESZ;
- iii. until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.** – All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.** – Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.** – Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and as amended from time to time.

(7) **Air pollution.** – Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and as amended from time to time.

(8) **Discharge of effluents.** – Discharge of treated effluents in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 (as amended from time to time) and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.** – Disposal and Management of solid wastes shall be as under-

- a. the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;
- b. No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.** – Bio medical waste management shall be as under:

- a. The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343(E), dated the 28th March, 2016; as amended from time to time.
- b. No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management.** – The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management.** – The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016 as amended from time to time.

(13) **E-waste.** – The E-Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.** – Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel such as CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial units.** –

- a. On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the ESZ,
- b. Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in January 2025, as amended from time to time, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.** – The protection of hill slopes shall be as under:

- a. The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- b. Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**– All activities in the Eco-Sensitive Zone of Neyyar – Peppara Wildlife Sanctuaries shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), Forest Act, 1927 (16 of 1927), Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and other applicable laws including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011, Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, and amendments made thereto and other Acts prevalent in the State. The forest area coming under the Eco-Sensitive Zone will remain to be governed under existing forest laws and amendments made thereto. Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-Sensitive Zone shall be regulated in manner specified in the Table below, namely: -

Table

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	a. All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-Sensitive Zone; b. The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs.

		UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03 rd June, 2022. IA No. 131377 of 2022, judgment dated the 26 th April, 2023 and the 28 th April, 2023 and subsequent judgment dated the 23 rd July 2025 in I.A Nos. 162023, 162034, 162154 and 162155 of 2025 or any further orders regarding mining.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in January, 2025, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio-medical waste.	No Solid Waste disposal site and waste treatment/ processing facility of solid waste are permitted within Eco-Sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospital etc. is prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited.
8.	New wood based industry.	Prohibited.
9.	Manufacturing and storage of explosive items.	Prohibited.
10.	Conversion of hills for commercial purpose.	Prohibited.
11.	Setting up of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
12.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
13.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
14.	Encroachment of river banks and destruction of river bank vegetation, collection of river stone.	Prohibited.
15.	Dumping of solid wastes/plastic wastes/ chemical wastes in the river and the land area.	Prohibited.
16.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited.

17.	Commercial Fishing.	Prohibited, however, permitted for bona fide use of tribes.
B. Regulated Activities		
18.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
19.	Construction activities.	a. No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer; b. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents such as: i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; iii. Small scale industries not causing pollution; iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and v. Promoted activities listed in this notification. Provided that, the construction activity related to small-scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any; c. Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
20.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of Industries issued by the Central Pollution Control Board in January 2025 and as amended from time to time and non-hazards, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
21.	Felling of trees.	a. There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. b. The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
22.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers [Recognition of Forest Rights] Act, 2006.
23.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
24.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
25.	Widening and strengthening of existing roads and construction	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

	of new roads.	
26.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
29.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
30.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
31.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
32.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
35.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
36.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
40.	Non Polluting Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
41.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
42.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
43.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
44.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
45.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
46.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
47.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely: -

Sl. No.	Constitution of the Monitoring Committee	Designation
1	The District Collector, Thiruvananthapuram	Chairman;

2	The District Panchayath President, Thiruvananthapuram	Member;
3	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
4	One expert in Ecology and environment from reputed Institution or University in the State of Kerala to be nominated by Government of Kerala for a term of one year in each case.	Member;
5	Kerala State Biodiversity Board	Member;
6	The Wildlife Warden, Thiruvananthapuram	Member Secretary.

6. Terms of Reference of the Monitoring Committee. –

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee is for three (3) years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
 - (3) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September 2006, and are falling in Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authority.
 - (5) The Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or representative from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma given **Annexure-V**, appended to this notification.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such direction, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. **Additional measures.** – The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.
 8. **Supreme Court, etc. orders.** – The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NEYYAR-PEPPARA WILDLIFE SANCTUARY

Table A: Boundary description of Neyyar Wildlife Sanctuary

DIRECTIONS	DESCRIPTION
NORTH	Starting from Meenmutty Waterfall (Point 1) in Kallar river, a point about 2.41Km North-East of Neyyar Dam site, the boundary runs along the eastern boundary of Paruthippally Range of Thiruvananthapuram Forest Division up to Karimalakari at 636m, passing Chottupara at 491m and then along the common boundary of Neyyar and Peppara Sanctuaries and runs along the North-East direction along the watershed line between Neyyar and Karamana rivers passing

	Mappimalai at 710m, Kannankunnu, Nachiyadikunnu at 985m upto Athirumala at 1594m, the State boundary.
EAST	Starting from Athirumala, the boundary runs along the state boundary passing Agasthyamala at 1868 m, Vavattimala at 1862m, Varayattumudi at 1416m, and the points of 662m and 701m upto Vengulamala at 756m.
SOUTH	From Vengulamala, the boundary runs along the state boundary up to Anamugham and then along the level of Full Reservoir Level (FRL) to Neyyar Dam site.
WEST	From dam site the boundary runs along the FRL level up to Thooripara, a portion of Kottoor extension reserve, and then along the boundary of Nettukaltherikunnureserve forests up to Mlavetty, the starting point.

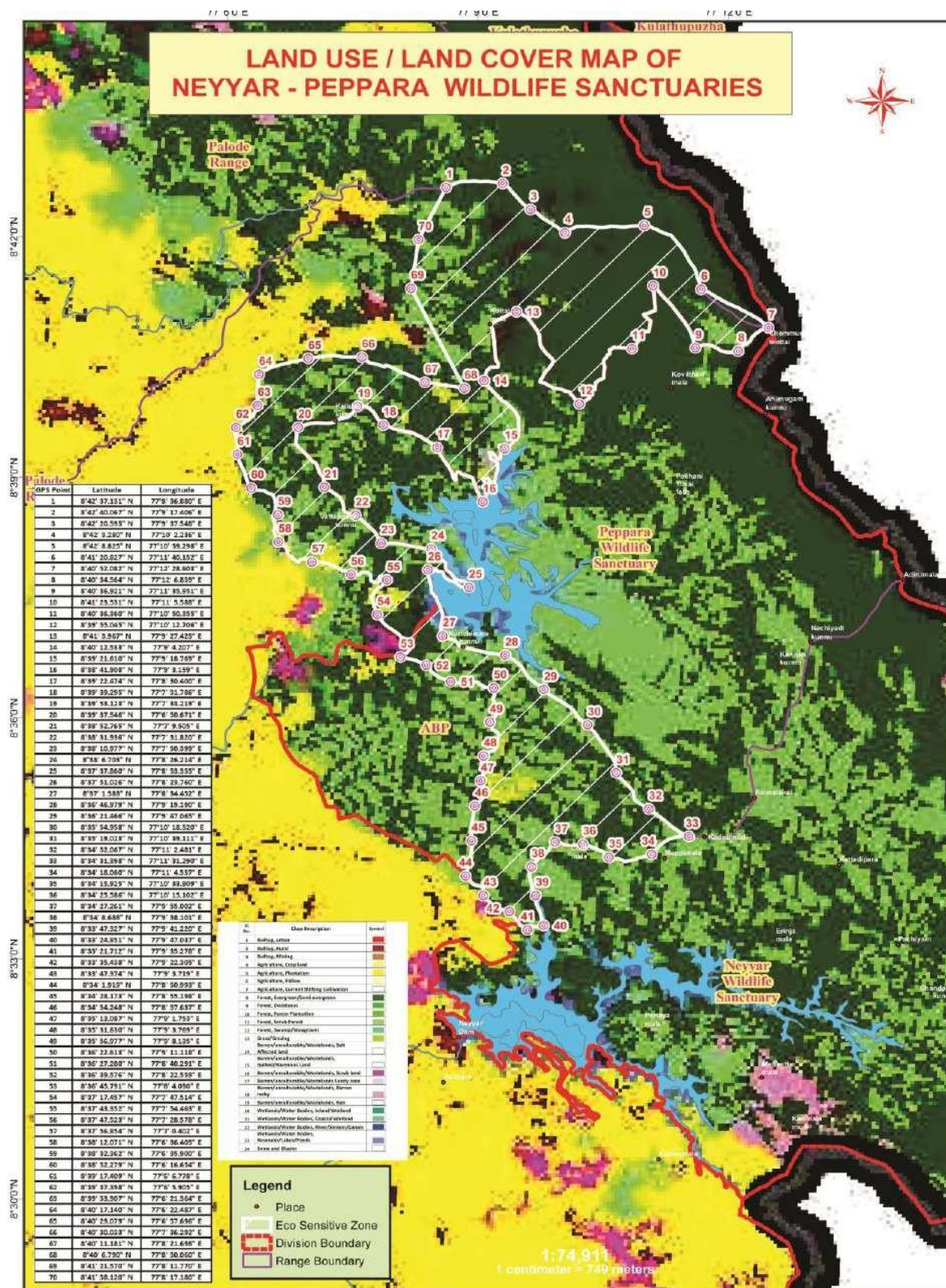
Table B: Boundary description of Peppara Wildlife Sanctuary

DIRECTIONS	DESCRIPTION
NORTH	From the point where Vithura-Bonaccord road enters the catchments area of the Peppara dam, the boundary runs along the watershed boundary of the catchment area till it reaches the boundary of Bonaccord tea estate, from where it passes along the Southern boundary of the estate till it reaches the eastern boundary of the estate. From there it runs along the watershed boundary of Peppara reservoir to Chemmunjimottai.
EAST	From Chemmunjimottai the boundary runs along the inter-state boundary of Kerala and Tamil Nadu passing Arumukhamkunnu (1457 m) till it reaches the Athirumala peak (1594 m). From Athirumala peak the boundary runs along the watershed boundary between Neyyar Wildlife Sanctuary and Karamana river basin till it reaches Kadiramudimalai passing along the following peaks Nachiyadikunnu (988 m), Kannan kunnu and Karimalakari (636 m).
SOUTH	From Kadirumudi the boundary follows the watershed area of Peppara reservoir along the Agasthiavanam Biological Park till it reaches the Peppara dam.
WEST	Starting from the Peppara dam, along the left bank of the water spread area of the dam, excluding the plantation areas and including all the natural reserve portion in the catchments area, till it reaches the Vithura-Bonaccord road in the north passing through the following peaks: Orachankunnu, Vattaparakunnu, Kalluparakunnu (473m) and Pumadathu kunnu.

Table C: Boundary description of Eco-Sensitive Zone of Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries

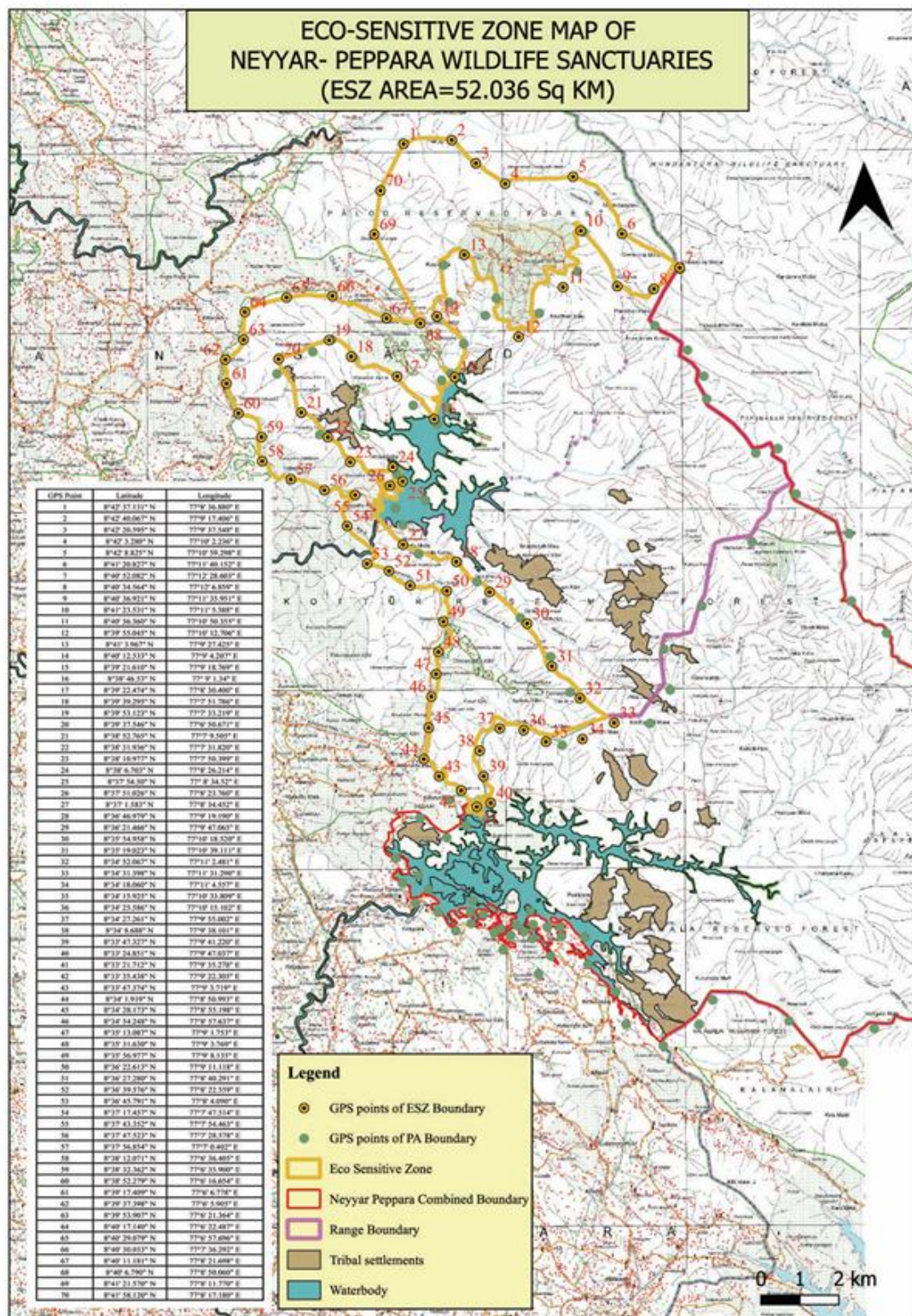
DIRECTIONS	DESCRIPTION
North East	Starting from Meenmutty waterfall (Point 1) in Kallar river runs along the course of river till it reaches the State boundary at Chemmunjimottai (Point 7). Thence from Chemmunjimottai (Point 7) runs along the common boundary of Peppara Wildlife Sanctuary and Parithippally Range till it reaches Kottamala (Point 13), also called Karichatty motta. Thence proceeds from Karichatty motta to Chathencode along Peppara Wildlife Sanctuary boundary and then to Kalluparakunnu (Point 19)
East	Thence, from Kalluparakunnu runs along the Peppara Wildlife Sanctuary boundary through Vattapparakunnu to meet Peppara reservoir at Point 24 and follows down along the Peppara reservoir boundary.
South East	Starting from Peppara reservoir boundary at Point 24, runs south east along the Peppara Wildlife Sanctuary boundary to Kadirmudy (Point 33), thence from Kadirmudy runs West along the Neyyar Wildlife Sanctuary boundary through Chottupara (Point 37).
South	From Chottupara runs along the Neyyar Wildlife Sanctuary boundary till Kappukadu (Point 40)
South West	From Kappukad continues along the boundary to (point 41) near Laksham Veedu Colony
West	From Laksham Veedu Colony (Point 41) runs along the boundary towards South West till it reaches Kottoor Section Forest Office (point 44)
West North	From Point 44, boundary proceeds to Mancode along Kottoor-Valippara-Chonampara till it reaches Anchunazhika thodu (Point 50) and continues to Kottappara thodu (Point 53)
North	From Koottappara thodu (Point 53) the boundary runs along the Vithura-Peppara road till it reaches Manakkala and thence through Kaliyikkal street road nearby the forest boundary of Paruthippally Range and thence proceeds to boundary of Paruthippally range towards Manithookki-Makki through Kanithadam, Kathipparta, Nalumarathinmoodu till it reaches and ends at Meenmutty waterfall (Point 1).

Land Use and Land Cover map of Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries and its Eco-Sensitive Zone along with latitude and longitude of prominent locations



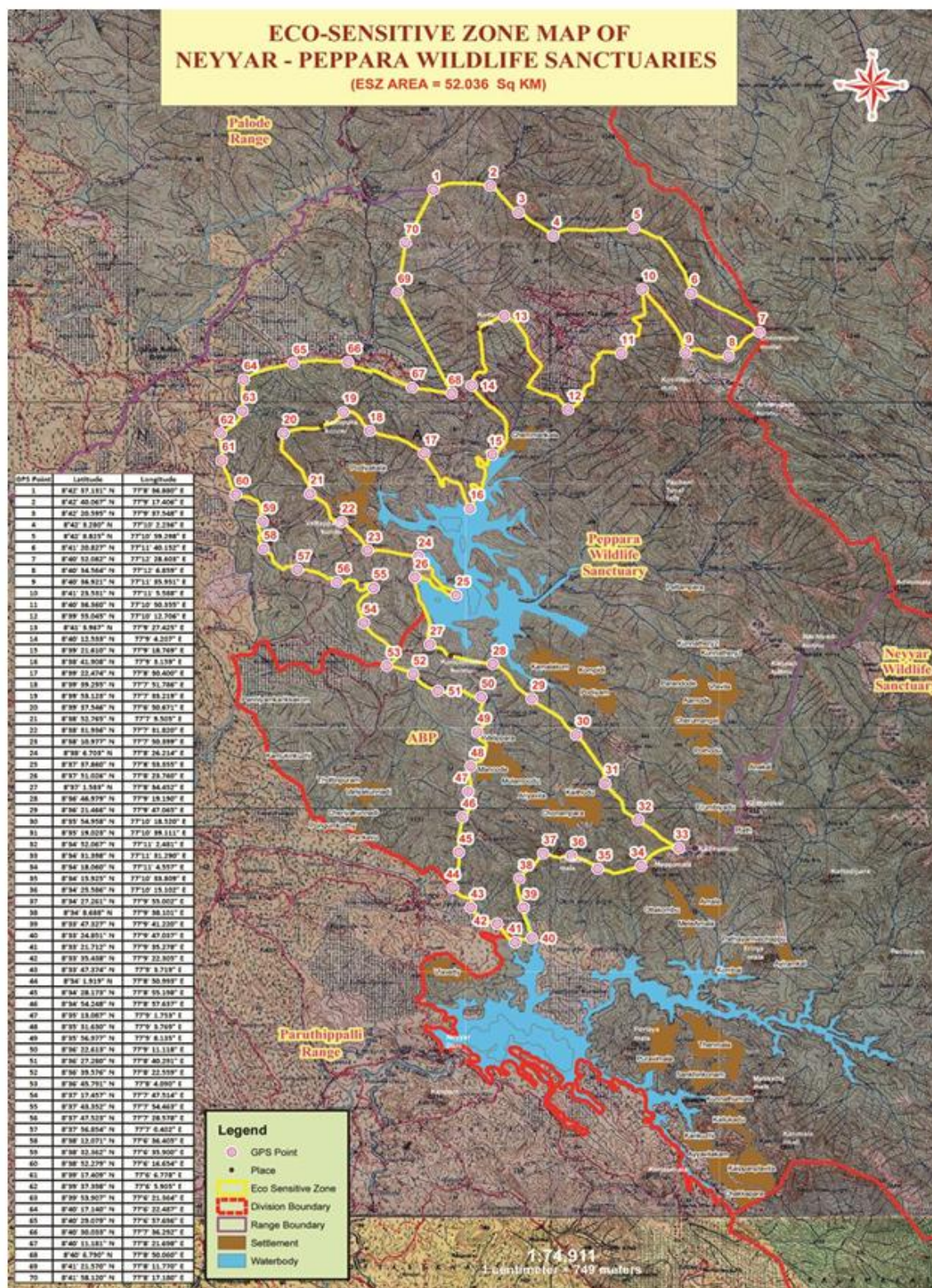
ANNEXURE-IIB

Map of Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries and its Eco-Sensitive Zone along with latitude and longitude of prominent locations on SoI toposheet



ANNEXURE-II C

Map of Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries and its Eco-Sensitive Zone along with latitude and longitude of prominent locations



ANNEXURE –III

Table A: Latitude-Longitude of Prominent Locations Along the Boundary of Neyyar Wildlife Sanctuary

Sl. No	Location	Longitude	Latitude
1	Klamala 1	77°14' 42.25" E	8°29' 45.82" N
2	Klamala 1	77°13' 56.9" E	8°30' 20.91" N
3	Klamala 1	77°12' 52.72" E	8°30' 39" N
4	Klamala 1	77°12' 41.2" E	8°30' 18.61" N
5	Klamala 1	77°12' 11.02" E	8°30' 0.79" N
6	Klamala 2	77°15' 20.77" E	8°35' 45.32" N
7	Klamala 2	77°14' 51.36" E	8°36' 12.21" N
8	Klamala 2	77°15' 50.52" E	8°35' 14.08" N
9	Klamala 2	77°16' 4.43" E	8°34' 56.31" N
10	Klamala 2	77°16' 11.84" E	8°34' 38.24" N
11	Klamala 2	77°16' 33.59" E	8°33' 50.64" N
12	Klamala 2	77°17' 5.03" E	8°32' 42.3" N
13	Klamala 2	77°16' 30.73" E	8°31' 55.93" N
14	Klamala 2	77°15' 46.87" E	8°30' 17.71" N
15	Klamala 2	77°15' 8.58" E	8°30' 14.08" N
16	Kottur	77°14' 5.44" E	8°37' 42.04" N
17	Kottur	77°8' 47.64" E	8°33' 12.98" N
18	Kottur	77°8' 26.8" E	8°32' 39" N
19	Kottur	77°8' 45.96" E	8°32' 24.88" N
20	Kottur	77°8' 54.34" E	8°32' 12.69" N
21	Kottur	77°8' 32.32" E	8°32' 18.42" N
22	Kottur	77°8' 43.48" E	8°32' 1.54" N
23	Kottur	77°9' 2.21" E	8°31' 53.5" N
24	Kottur	77°9' 17.13" E	8°31' 38.01" N
25	Kottur	77°9' 10" E	8°32' 56.01" N
26	Kottur	77°9' 26" E	8°33' 6.35" N
27	Kottur	77°9' 11.39" E	8°33' 27.61" N
28	Kottur	77°14' 49.85" E	8°37' 8.7" N
29	Kottur	77°11' 39.77" E	8°30' 19.13" N
30	Kottur	77°11' 31.44" E	8°30' 46.35" N
31	Kottur	77°11' 8.11" E	8°31' 9.1" N
32	Kottur	77°11' 5.51" E	8°31' 32.37" N
33	Kottur	77°10' 44.7" E	8°31' 40.48" N
34	Kottur	77°10' 34.12" E	8°31' 40.69" N
35	Kottur	77°10' 45.88" E	8°31' 32.76" N
36	Kottur	77°10' 19.98" E	8°31' 54.05" N
37	Kottur	77°10' 22.08" E	8°31' 43.01" N
38	Kottur	77°10' 36.92" E	8°31' 16.45" N
39	Kottur	77°10' 14.44" E	8°31' 37.11" N
40	Kottur	77°10' 21.32" E	8°31' 31.19" N
41	Kottur	77°10' 8.28" E	8°31' 42.28" N
42	Kottur	77°9' 31.34" E	8°32' 3.16" N
43	Kottur	77°10' 3.37" E	8°31' 33.99" N
44	Kottur	77°10' 26.38" E	8°31' 1.62" N
45	Kottur	77°9' 56.95" E	8°31' 21.97" N
46	Kottur	77°9' 55.08" E	8°31' 39.55" N
47	Kottur	77°9' 40.13" E	8°31' 51.54" N
48	Kottur	77°9' 49.25" E	8°31' 36.34" N
49	Kottur	77°9' 29.44" E	8°31' 53.81" N
50	Kottur	77°9' 29.89" E	8°31' 44.12" N

51	Kottur	77° 13' 28.06" E	8° 37' 2.11" N
52	Kottur	77° 12' 45.57" E	8° 36' 8.78" N
53	Kottur	77° 12' 13.71" E	8° 35' 32.78" N
54	Kottur	77° 12' 18.51" E	8° 34' 58.68" N
55	Kottur	77° 12' 1.55" E	8° 34' 30.8" N
56	Kottur	77° 10' 47.47" E	8° 34' 12.89" N
57	Kottur	77° 9' 54.94" E	8° 34' 27.18" N
58	Kottur	77° 9' 46.93" E	8° 33' 24.49" N

Table B: Latitude-Longitude of Prominent Locations Along the Boundary of Peppara Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Location	Longitude	Latitude
1	Athirumala	77° 8' 34.39" E	8° 37' 17.98" N
2	Athirumala	77° 8' 47.52" E	8° 36' 53.72" N
3	Athirumala	77° 9' 20.44" E	8° 36' 46.85" N
4	Athirumala	77° 9' 36.48" E	8° 36' 30.11" N
5	Athirumala	77° 10' 12.85" E	8° 35' 59.74" N
6	Athirumala	77° 10' 38.21" E	8° 35' 27.05" N
7	Athirumala	77° 10' 54.38" E	8° 34' 57.29" N
8	Athirumala	77° 13' 28.06" E	8° 37' 2.11" N
9	Athirumala	77° 12' 45.57" E	8° 36' 8.78" N
10	Athirumala	77° 12' 13.71" E	8° 35' 32.78" N
11	Athirumala	77° 12' 18.51" E	8° 34' 58.68" N
12	Athirumala	77° 12' 1.55" E	8° 34' 30.8" N
13	Athirumala	77° 12' 34.72" E	8° 39' 43.23" N
14	Athirumala	77° 12' 48.43" E	8° 39' 21.28" N
15	Athirumala	77° 12' 50.66" E	8° 39' 2.15" N
16	Athirumala	77° 13' 31.71" E	8° 38' 16.61" N
17	Athirumala	77° 13' 50.18" E	8° 38' 20.23" N
18	Thodayar	77° 8' 28.44" E	8° 37' 32.27" N
19	Thodayar	77° 8' 23.76" E	8° 37' 51.03" N
20	Thodayar	77° 8' 53.74" E	8° 37' 38.61" N
21	Thodayar	77° 7' 50.4" E	8° 38' 10.98" N
22	Thodayar	77° 8' 29.44" E	8° 38' 0.62" N
23	Thodayar	77° 7' 25.06" E	8° 38' 34.08" N
24	Thodayar	77° 7' 9.72" E	8° 38' 51.92" N
25	Thodayar	77° 6' 49.29" E	8° 39' 25.14" N
26	Thodayar	77° 7' 19.5" E	8° 39' 43.5" N
27	Thodayar	77° 7' 35.45" E	8° 39' 53.66" N
28	Thodayar	77° 7' 53.36" E	8° 39' 38.43" N
29	Thodayar	77° 8' 43.78" E	8° 38' 58.13" N
30	Thodayar	77° 9' 3.56" E	8° 38' 42.4" N
31	Thodayar	77° 9' 11.87" E	8° 38' 57.04" N
32	Thodayar	77° 9' 7.75" E	8° 39' 19.07" N

33	Thodayar	77°9' 15.46" E	8°39' 24.7" N
34	Thodayar	77°9' 26.57" E	8°39' 49.46" N
35	Thodayar	77°9' 4.21" E	8°40' 11.63" N
36	Thodayar	77°9' 14.56" E	8°40' 24.26" N
37	Thodayar	77°9' 10.15" E	8°40' 55.53" N
38	Thodayar	77°9' 27.44" E	8°41' 3.98" N
39	Thodayar	77°9' 54.05" E	8°40' 27.35" N
40	Thodayar	77°9' 44.79" E	8°40' 13" N
41	Thodayar	77°10' 12.93" E	8°39' 55.02" N
42	Thodayar	77°10' 30.25" E	8°40' 14.68" N
43	Thodayar	77°10' 50.91" E	8°40' 36.36" N
44	Thodayar	77°11' 2.49" E	8°40' 49.49" N
45	Thodayar	77°11' 7.62" E	8°41' 22.53" N
46	Thodayar	77°11' 36.15" E	8°40' 36.86" N
47	Thodayar	77°12' 5.39" E	8°40' 33.89" N
48	Thodayar	77°12' 29.1" E	8°40' 50.72" N
49	Thodayar	77°12' 7.42" E	8°40' 3.7" N

Table C: Latitude-Longitude of Prominent Locations Along the Boundary of Eco-Sensitive Zone of Neyyar - Peppara Wildlife Sanctuaries

GPS Point	Latitude	Longitude
1	8°42' 37.131" N	77°8' 36.880" E
2	8°42' 40.067" N	77°9' 17.406" E
3	8°42' 20.595" N	77°9' 37.548" E
4	8°42' 3.280" N	77°10' 2.236" E
5	8°42' 8.825" N	77°10' 59.298" E
6	8°41' 20.827" N	77°11' 40.152" E
7	8°40' 52.082" N	77°12' 28.603" E
8	8°40' 34.564" N	77°12' 6.859" E
9	8°40' 36.921" N	77°11' 35.951" E
10	8°41' 23.531" N	77°11' 5.588" E
11	8°40' 36.360" N	77°10' 50.355" E
12	8°39' 55.045" N	77°10' 12.706" E
13	8°41' 3.967" N	77°9' 27.425" E
14	8°40' 12.533" N	77°9' 4.207" E
15	8°39' 21.610" N	77°9' 18.769" E
16	8°38' 41.908" N	77°9' 3.159" E
17	8°39' 22.474" N	77°8' 30.400" E
18	8°39' 39.295" N	77°7' 51.786" E
19	8°39' 53.123" N	77°7' 33.219" E
20	8°39' 37.546" N	77°6' 50.671" E
21	8°38' 52.765" N	77°7' 9.505" E
22	8°38' 31.936" N	77°7' 31.820" E
23	8°38' 10.977" N	77°7' 50.399" E
24	8°38' 6.703" N	77°8' 26.214" E
25	8°37' 37.860" N	77°8' 53.355" E

26	8°37' 51.026" N	77°8' 23.760" E
27	8°37' 1.583" N	77°8' 34.452" E
28	8°36' 46.979" N	77°9' 19.190" E
29	8°36' 21.466" N	77°9' 47.065" E
30	8°35' 54.958" N	77°10' 18.520" E
31	8°35' 19.023" N	77°10' 39.111" E
32	8°34' 52.067" N	77°11' 2.481" E
33	8°34' 31.398" N	77°11' 31.290" E
34	8°34' 18.060" N	77°11' 4.557" E
35	8°34' 15.925" N	77°10' 33.809" E
36	8°34' 25.586" N	77°10' 15.102" E
37	8°34' 27.261" N	77°9' 55.002" E
38	8°34' 8.688" N	77°9' 38.101" E
39	8°33' 47.327" N	77°9' 41.220" E
40	8°33' 24.851" N	77°9' 47.037" E
41	8°33' 21.712" N	77°9' 35.278" E
42	8°33' 35.438" N	77°9' 22.305" E
43	8°33' 47.374" N	77°9' 3.719" E
44	8°34' 1.919" N	77°8' 50.993" E
45	8°34' 28.173" N	77°8' 55.198" E
46	8°34' 54.248" N	77°8' 57.637" E
47	8°35' 13.087" N	77°9' 1.753" E
48	8°35' 31.630" N	77°9' 3.769" E
49	8°35' 56.977" N	77°9' 8.135" E
50	8°36' 22.613" N	77°9' 11.118" E
51	8°36' 27.280" N	77°8' 40.291" E
52	8°36' 39.576" N	77°8' 22.559" E
53	8°36' 45.791" N	77°8' 4.090" E
54	8°37' 17.457" N	77°7' 47.514" E
55	8°37' 43.352" N	77°7' 54.463" E
56	8°37' 47.523" N	77°7' 28.578" E
57	8°37' 56.854" N	77°7' 0.402" E
58	8°38' 12.071" N	77°6' 36.405" E
59	8°38' 32.362" N	77°6' 35.900" E
60	8°38' 52.279" N	77°6' 16.654" E
61	8°39' 17.409" N	77°6' 6.778" E
62	8°39' 37.398" N	77°6' 5.905" E
63	8°39' 53.907" N	77°6' 21.364" E
64	8°40' 17.140" N	77°6' 22.487" E
65	8°40' 29.079" N	77°6' 57.696" E
66	8°40' 30.033" N	77°7' 36.292" E
67	8°40' 11.181" N	77°8' 21.698" E
68	8°40' 6.790" N	77°8' 50.060" E
69	8°41' 21.570" N	77°8' 11.770" E
70	8°41' 58.120" N	77°8' 17.180" E

ANNEXURE –IV

Geo-Coordinates of Prominent boundaries of the Villages Falling in the Eco-Sensitive Zone**Table A: List of Villages falling within the Eco-Sensitive Zone of Neyyar Wildlife Sanctuary along with Geo-coordinates.**

Sl.No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (N)	Longitude (E)
Nil						

Table B: List of Villages falling within the Eco-Sensitive Zone of Peppara Wildlife Sanctuary along with Geo-coordinates.

Sl.No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (N)	Longitude (E)
1	Mannoorkara	Revenue	Nedumangad	Thiruvananthapuram	8°33'41"	77°7'34.64"
2	Vithura	Revenue	Nedumangad	Thiruvananthapuram	8°40'54.48"	77°6'7.92"

ANNEXURE – V

Proforma of Action Taken Report of Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee. -

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/104/2015-ESZ-RE]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.